

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार  
70वीं बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 04 / 09 / 2020

समय:- मध्यान्ह 12:00 बजे

स्थान :- आयुक्त शिविर कार्यालय, 26 ई0सी0रोड़ देहरादून

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2020 हेतु प्रस्तावित एजेण्डा मद


मद सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 एवं परिचालन के माध्यम से आहूत 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2019, 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2019 एवं 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि	01
2	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 66 वीं, बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 एवं परिचालन के माध्यम से आहूत (67वीं, 68वीं एवं 69वीं बोर्ड) की अनुपालन आख्या।	02 से 16 तक
3	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	17 से 28 तक
4	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु बजट अनुमोदन के सम्बन्ध में।	29
5	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में।	30
6	आगामी महाकुम्भ मेला-2021 के दृष्टिगत हरिद्वार शहर के सौन्दर्यीकरण किये जाने विषयक।	31
7	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हाईमास्ट लाईटों की आपूर्ति एवं स्थापना के संबंध में।	32
8	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार से जाने वाले गंगनहर (कांवड पटरी) पर चेंजिंग रूम/शौचालय निर्मित किये जाने के संबंध में।	33
9	लक्सर क्षेत्र में रोड़वेज बस स्टैण्ड व शिवचौक का निर्माण एवं शिवमूर्ति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।	34
10	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ० कड़च्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण का कार्य।	35
11	होटल के मानचित्र को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।	36
12	श्री राखी गर्ग पत्नी श्री अमित कुमार गर्ग आदि द्वारा ग्राम ज्वालापुर अन्दर हदूद के खसरा संख्या 2251 एवं 2249 (अन्दर नगर निगम हरिद्वार) परगना ज्वालापुर जिला हरिद्वार में प्रस्तुत मानचित्र अनुसार होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	37 से 38 तक
13	श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल एवं श्री सुदर्शन कुमार मित्तल पुत्र श्री मेहरबान सिंह मित्तल द्वारा ग्राम मनोहरपुर के खसरा संख्या 189 व 194 परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार पर पूर्व से स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र में संशोधन प्रस्ताव होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	39 से 40 तक
14	श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री अरविन्द अग्रवाल के वाद संख्या नो०/बहा०/387/2019-20 में शमन प्रस्ताव दिनांक 27.11.2019 ग्राम रावली महदूद के खसरा संख्या 440/2, 441, तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 1662.50 वर्ग मी० पर स्थापित आउटलेट के शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।	41 से 42 तक

15	श्री कुंवरकांत शर्मा पुत्र श्री आनन्द प्रकाश शर्मा द्वारा ग्राम ज्वालापुर के खसरा संख्या 2262/2 एवं 2260 वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर परगना व तहसील ज्वालापुर, हरिद्वार में 770 वर्ग मी० पर स्थापित रिटेल आउटलेट की स्वीकृति के सम्बन्ध में	43 से 44 तक
16	श्रीमती रीतू पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह यादव के द्वारा ग्राम सराय के खसरा संख्या 74, परगना व तहसील ज्वालापुर में एच०पी०सी०एल० के रिटेल आउटलेट की स्वीकृति के सम्बन्ध में	45
17	हरिद्वार स्थित एस०एम०जे०एन० (पी०जी०) कॉलेज परिसर में बिना स्वीकृति के मोबाईल टावर के शमन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में	46
18	ग्राम अकबरपुर ऊद, परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के खसरा न०. 588 पर पूर्व निर्मित इण्डस्ट्रीज, मैसर्स गोल्डन पी०वी०सी० प्रोफाईल को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।	47
19	भेल गृह निर्माण समिति, बी०एच०ई०एल०, रावली महदूद ज्वालापुर हरिद्वार के स्वीकृत तलपट मानचित्र की अवधि 02 वर्ष हेतु समय वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	48
20	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत टिहरी विस्थापित क्षेत्र को नियमित किये जाने विषयक।	49
21	प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों के विक्रय उपरान्त अभिलेखों में क्रेता का नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में	50
22	भवनों/भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में	51 से 52 तक
23	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते समय देय सबडिवीजन शुल्क की देयता के सम्बन्ध में।	53
24	कार्यालय में पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार, मानचित्रकार एवं अभियन्ताओं के-पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्कों के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।	54
25	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण में संविदा (अनुबन्ध के आधार पर) तैनात कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	55
26	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में स्वीकृत 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	56 से 57
27	आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों पेंशनर्स को राज्य <b>SGHS (State Government Health Scheme)</b> के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार के सम्बन्ध में।	58
28	ट्रांसपोर्ट नगर योजना सराय रोड़ ज्वालापुर हरिद्वार का तलपट मानचित्र संशोधित किये जाने के संबंध में।	59
29	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद	60

मद संख्या 70-(01)

प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 एवं परिचालन के माध्यम से आहूत 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2019, 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2019 एवं 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि:-

प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019, 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2019 (परिचालन), 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2019 (परिचालन) एवं 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2019 (परिचालन के माध्यम से) आयोजित की गयी थी। उक्त बैठकों के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 66 वीं, 67वीं, 68वीं एवं 69वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

  
अधिसाक्षी अभियन्ता  
हरिद्वार-रुड़की विद्युत प्राधिकरण  
हरिद्वार

# हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 70 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04-09-2020 का कार्यवृत्त।


प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04-09-2020 को मा0 अध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में आयुक्त /अध्यक्ष कैम्प देहरादून के सभागार में आयोजित की गयी :-  
बैठक की उपस्थिति :-

1. श्री रविनाथ रमन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष,एच.आर.डी.ए.
2. श्री दीपक रावत उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0
3. श्री एम0एस0चौहान, संयुक्त सचिव (सचिव,पेयजल विभाग के प्रतिनिधि)
4. श्री जे0एल0शर्मा, संयुक्त सचिव (सचिव, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि)
5. सुश्री नीतू भण्डारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)
6. श्रीमती शालू थिंड, सहयुक्त नियोजक (नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)
7. श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप जिला अधिकारी हरिद्वार (जिलाधिकारी हरिद्वार के प्रतिनिधि)
8. श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका **शिवालिक नगर**
9. श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार ।

अध्यक्ष  
उपाध्यक्ष  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य  
पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा आयुक्त/ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष /मेलाधिकारी एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

**मद संख्या-70 (01)** प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22-01-2019 एवं 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07-03-2019 (परिचालन), 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21-10-2019(परिचालन) एवं 69वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30-12-2019 (परिचालन) के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि की गई ।



Secretary



Vice Chairman



Chairman

## मद संख्या 70 (02)

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की 66 वीं, बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 एवं परिचालन के माध्यम से आहूत (67वीं, 68वीं एवं 69वीं बोर्ड) की अनुपालन आख्या :-

मद सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन
मद संख्या 66-(01)	प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 एवं 65वीं बोर्ड बैठक (परिचालन) दिनांक 09.03.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि	प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 एवं 65वीं बोर्ड बैठक (परिचालन) दिनांक 09.03.2018 के कार्यवृत्त/ अनुपालना की पुष्टि की गई।	निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 66 (02)	66 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 की अनुपालन आख्या		
60 मद संख्या-01 (स)	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक।	<b>60-(3.स)</b> हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूडकी क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 एन0एफ0 इन्फ्राटैक प्रा0लि0 को अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 04.03.2019 तक शीर्ष प्राथमिकता से समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	प्रश्नगत प्रकरण विस्तृत आख्या सहित प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 के मद संख्या 05 में विचारार्थ चला आ रहा है। अनुपालन आख्या उक्त मद में उल्लिखित है। अतः मद संख्या 60(01)(स) को एजेण्डा मद से समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।
63, मद संख्या-20	हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर, भीमगोडा, गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे भूखण्डों एवं निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों को एक मानक तय करते हुए इनके नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर भीमगोडा, गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों को नियमितीकरण हेतु मानक सिद्धान्त तैयार किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व-सम्मति से विस्तृत नियम तथा पर्यटन विभाग के अद्यतन नियम आदि के साथ समिति की रिपोर्ट (Report) आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में वर्तमान में उडा एवं शासन स्तर पर इस प्रकार के निर्माणों को नियमित/शमन किये जाने पर विचार किया जा रहा है। नियमित/शमन किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा शीघ्र ही एकबार समाधान योजना लागू की जानी है। उक्त समाधान योजना के सम्बन्ध में शासन स्तर पर बैठकें आयोजित की गयी हैं। जिसमें इस प्रकार के निर्माणों को शमन/स्वीकृत किये जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। शासन स्तर से शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त प्रकरणों का निस्तारण कर लिया जायेगा।

<p>मद संख्या- 64(05)</p>	<p>भायापुर हरिद्वार स्थित वर्तमान नगर निगम कार्यालय परिसर को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा आवासीय/ व्यावसायिक योजना का विकास एवं निर्माण कार्य</p>	<p>भायापुर हरिद्वार स्थित वर्तमान नगर निगम कार्यालय परिसर को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा आवासीय/ व्यावसायिक योजना का विकास एवं निर्माण कार्य विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि योजना के सभी पहलुओं/ बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण कर लिया जाये तथा जन-सामान्य एवं अन्य माध्यमों से सुझाव प्राप्त करते हुए प्रस्तावित योजना को व्यावसायिक काम्प्लैक्स, (होटल) तथा आवासीय में से कौन योजना वित्तीय दृष्टि से ठीक है, योजना के डिजाईन/ ड्राईन/ माडयूल हेतु एक कन्स्टेन्ट की नियुक्ति तथा उक्त कार्य हेतु एम0डी0डी0ए0 से भी सहयोग प्राप्त करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>प्रस्ताव पर व्यावहारिक रूप से अमल किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
<p>मद संख्या- 64(06)</p>	<p>हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम कार्यालय निर्मित कराये जाने तथा नगर निगम हरिद्वार की कतिपय सम्पत्तियों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में</p>	<p>हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम कार्यालय निर्मित कराये जाने तथा नगर निगम हरिद्वार की कतिपय सम्पत्तियों को क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर विस्तृत परीक्षण करने, जन-सामान्य, अन्य माध्यमों से सुझाव प्राप्त करने एवं योजना के डिजाईन/ ड्राईग/ माडयूल हेतु एक कन्सल्टेंट की नियुक्ति तथा उक्त कार्य हेतु एम0डी0डी0ए0 से भी सहयोग प्राप्त करते हुए सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>प्रस्ताव पर व्यावहारिक रूप से अमल किया जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
<p>मद संख्या- 64(07)</p>	<p>प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में निर्माणाधीन 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में</p>	<p>प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में निर्माणाधीन 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के मूल्य निर्धारण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण, कार्यदायी संस्था का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जाये तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>अवगत कराना है कि इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाईन सर्विस, उ0प्र0 जल निगम का चयन प्राधिकरण की 63(19)वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। तदोपरान्त उनके द्वारा तैयार डी0पी0आर0 की स्वीकृति उडा के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी। तदोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य अप्रेजल कमेटी की बैठक दिनांक 04.01.2018 में परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्तुति सहित भारत सरकार को प्रेषित</p>

			<p>किया गया। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त है तथा केन्द्रांश के रूप में ₹0. 316.80 लाख की धनराशि प्राधिकरण को अवमुक्त की गयी है। अप्रैजल कमेटी की बैठक में भवनों के विक्रय मूल्य का विवरण भी उपलब्ध है। जिसके अनुसार प्रत्येक भवन की निर्माण लागत ₹0. 8.86 लाख है। ₹0. 8.86 लाख के विवरण में ₹0. 4.50 लाख आवंटनी से, ₹0. 1.00 लाख राज्यांश, ₹0. 1.50 लाख केन्द्रांश तथा ₹0. 1.86 लाख कास सब्सिडी के रूप में है। उक्त बैठक दिनांक 04.01.2018 में कार्यदायी संस्था का चयन खुली निविदा के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। दिये गये निर्देश के अनुपालन में हो रही कठिनाइयों से कार्यालय पत्रों के माध्यम से एवं विभिन्न बैठकों में शासन को अवगत कराया गया। तदोपरान्त शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 60/V-2-2020-05 (आ0)/2020 दिनांक 10.06.2020 निर्गत करते हुए चयनित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम से कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी तथा ई0डब्लू0एस0 भवनों की लागत, विक्रय एवं आवंटन हेतु प्राधिकरण द्वारा पृथक से सक्षम स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश हैं।</p> <p>तत्कम में प्रकरण विस्तृत आख्या सहित मद संख्या-26 पर पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
<p>मद संख्या-64(08)</p>	<p>हरिद्वार स्थित बस स्टैण्ड को प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में</p>	<p>हरिद्वार स्थित बस स्टैण्ड को प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थानान्तरित करने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर ए0आर0एम परिवहन निगम हरिद्वार, ए.आर.टी.ओ. हरिद्वार के साथ परीक्षण करने एवं जन-सामान्य से सुझाव आमन्त्रित करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण पर अनुपालन किया जाना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नहीं हो रहा है।</p> <p>अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>

आयुक्त आयोग  
हरिद्वार



<p>मद संख्या- 64(09)</p>	<p>हरिद्वार में वर्तमान बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग स्थल एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के विकास के सम्बन्ध में।</p>	<p>हरिद्वार में वर्तमान बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग स्थल एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के विकास विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर परिवहन निगम हरिद्वार, ए.आर.टी.ओ. हरिद्वार के साथ परीक्षण करने एवं जन-सामान्य से सुझाव आमन्त्रित करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण पर अनुपालन किया जाना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
<p>मद संख्या- 64(10)</p>	<p>ऋषिकेश नगर पालिका कार्यालय परिसर में पार्किंग एवं व्यावसायिक गतिविधियों के निर्माण के सम्बन्ध में।</p>	<p>ऋषिकेश नगर निगम कार्यालय परिसर में पार्किंग एवं व्यावसायिक गतिविधियों के निर्माण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर निदेशक, शहरी विकास विभाग, परिवहन निगम, ए.आर.टी.ओ. ऋषिकेश के साथ संयुक्त बैठक /परीक्षण करने एवं जन-सामान्य से सुझाव आमन्त्रित करते हुए सभी वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट (Report) के साथ सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>शासन की अधिसूचना सं०- 1275/V- 2/2019-05 (आ०)/2017 टी०सी० दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा पूर्व से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में सम्मिलित देहरादून जिले के समस्त भू-भाग को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। जिस कारण हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण से अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
<p>मद संख्या- 64(11)</p>	<p>उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1819 (2) दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करते हुए हरिद्वार जिले के ऐसे भू-भाग जो पूर्व में हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे को सम्मिलित किया गया है, की महायोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1819 (2) दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करते हुए हरिद्वार जिले के ऐसे भू-भाग जो पूर्व में प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे को सम्मिलित किया गया है, की महायोजना तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव पर कार्यवाही उडा स्तर से गतिमान है, बोर्ड द्वारा उडा को समयान्तर्गत कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या एवं प्रगति से नियोजन विभाग द्वारा बोर्ड को अवगत कराया जाना है।</p>

मद संख्या- 64(22)	लक्सर रोड पर डी0ए0वी0 कालेज के सामने नगर निगम, हरिद्वार की स्लेज फार्म की भूमि में से लगभग 80 बीघा भूमि प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवासीय योजना एवं अन्य कार्यों हेतु हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में	लक्सर रोड पर डी0ए0वी0 कालेज के सामने नगर निगम, हरिद्वार की स्लेज फार्म की भूमि में से लगभग 80 बीघा भूमि प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवासीय योजना एवं अन्य कार्यों हेतु हस्तगत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	प्रस्ताव पर व्यावहारिक रूप से अमल किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या- 64(23)	नगर निगम, हरिद्वार की विभिन्न सम्पत्तियों को प्राधिकरण द्वारा कय किये जाने के सम्बन्ध में।	नगर निगम, हरिद्वार की विभिन्न सम्पत्तियों को प्राधिकरण द्वारा क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	प्रस्ताव पर व्यावहारिक रूप से अमल किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
66 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 की अनुपालन आख्या			
मद संख्या 66 (04)	ऋषिकेश महायोजना प्रारूप-2031 की प्रदर्शनी जन-सामान्य के आपत्ति /सुझाव हेतु लगाये जाने का कार्य किये जाने विषयक	ऋषिकेश महायोजना प्रारूप-2031 की प्रदर्शनी जन-सामान्य के आपत्ति /सुझाव हेतु लगाये जाने का कार्य किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई चर्चा उपरान्त ऋषिकेश महायोजना में प्राधिकरण के निम्न सुझावों को समावेशित किये जाने पर विचार किया गया जिनमें प्रमुखतः :- (a)-खाण्ड गांव, खाण्ड गांव रायवाला, अपोजिट रायवाला स्टेशन जो कि वर्तमान में महायोजना में है परन्तु अधिसूचित नहीं है को अधिसूचित किया जाय। (b)-एन0एच-58 व गंगा नदी के मध्य क्षेत्र स्थित क्षेत्र की मृदा संरचनाओं के दृष्टिगत रखते हुए जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर-7 की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अनावसीय (अंश) भवनों में भी अधिक ऊँचाई विशेष परिस्थितियों में जोनिंग की व्यवस्था अनुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचारणीय होगी। (c)-हिल्स में मानकों के अनुकूल पर्यटन भू-उपयोग में भवनों की ऊँचाई 12 मीटर की जायें। (d)-ग्राम नीरगढ से कौडियाला (ग्राम पट्टी धमान्स्यू) तक एन0एच0-58 के किनारे 500 मीटर से 1000 मीटर के क्षेत्र को पर्यटन को प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण हेतु इको रिजॉट /रिजॉट /होटल/गैस्ट हाउस/ईको टूरिज्म प्रोत्साहन मानक अनुसार प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से अनुमन्य होंगे।	शासन की अधिसूचना सं0- 1277/V- 2/2019-05 (आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 13, सितम्बर, 2019 द्वारा हरिद्वार- रुड़की विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हुए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र समस्त हरिद्वार जिले तक ही रह गया है। ऋषिकेश महायोजना में जिला देहरादून, जिला टिहरी गढ़वाल व पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र सम्मिलित है। जो अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः निर्णय अनुसार कार्यवाही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से वांछित नहीं है। तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

अधिसूचना  
नगर निगम प्रधिकरण

सामान्य-विस्तार सम्बन्धी विन्दु पर बाड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा कुम्भ / अर्द्ध कुम्भ मेले एवं तीर्थाटन के दृष्टिगत तहसील नरेन्द्रनगर के ढालवाला, मुनिकीरेती, तपोवन से कोडियाला तक का क्षेत्र एवं पौडी जनपद के स्वर्गाश्रम क्षेत्र जो कि जनपद स्तरीय प्राधिकरण में भी अधिसूचित हो गये है उक्त क्षेत्र जो पूर्व से ऋषिकेश महायोजना में सम्मिलित किये है, के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया तथा इस सम्बन्ध में बोर्ड की संस्तुति अध्यक्ष/आयुक्त के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये ।

ऋषिकेश महायोजना-2031 पर व्यापक जन-सामान्य के सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की गई :-

- |  |       |
|--|-------|
| 1-डी0एफ0ओ0 देहरादून,   | सदस्य |
| 2-सचिव, एच0आर0डी0ए0,   | सदस्य |
| 3-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, (प्रतिनिधि, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड), | सदस्य |
| 4-नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश,   | सदस्य |
| 5-अधिकासी अभियन्ता, एच0आर0डी0ए0,   | सदस्य |
| 6-अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड ऋषिकेश,  | सदस्य |
| 7-अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका, मुनिकीरेती,   | सदस्य |

उपरोक्त समिति ऋषिकेश महायोजना को विभिन्न स्थानों पर व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जन-सामान्य हेतु प्रदर्शित कराने एवं आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने एवं प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विस्तृत सुनवाई एवं स्थल निरीक्षण/परीक्षण कर अपने मन्तव्य एवं संस्तुति रिपोर्ट आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या 66 (05)	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 पर आधारित जोनल प्लान में प्राप्त आपत्ति / सुझाव के निस्तारण के सम्बन्ध में।	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान में प्राप्त आपत्ति / सुझाव के निस्तारण के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त जन-सामान्य से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर समिति की संस्तुतियों पर सैद्धान्तिक सहमति दी गई तथा जोनल प्लान के अनुमोदन हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में जोनल डेवलेपमेंट प्लान में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या 2495 दिनांक 15.02.2019 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक देहरादून को प्रेषित किया गया। उक्त के कम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 जून, 2019 द्वारा हरिद्वार
----------------------	--	---	--

दिये गये।

महायोजना 2025 में निर्धारित भू उपयोग आवासीय से व्यावसायिक तथा आई0टी0 से आवासीय अन्तर्गत इत्यादि किये जाने को वृहद क्षेत्र का भू उपयोग परिवर्तन होना बताते हुए उक्त संशोधन से पूर्व प्राधिकरण स्तर से विधिक राय लिये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा सहयुक्त नियोजक गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून को पत्र संख्या 2551 दिनांक 07.02.2020 के माध्यम से विधिसम्मत परामर्श / नियमानुकूल सुझाव प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या 660 दिनांक 29 मई, 2020 में उल्लिखित किया गया है कि प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 में जोनल डेवलेपमेंट प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव की सुनवाई हेतु गठित समिति की संस्तुति प्रस्तुत की गयी थी, जबकि उक्त बैठक में आपत्ति/सुझाव अन्तर्गत भू उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों पर सम्भवतः विस्तृत चर्चा नहीं किया जाना दृष्टिगत होता है साथ ही उनके द्वारा महायोजना के इतर वृहद क्षेत्रों का भू उपयोग परिवर्तन जोनल प्लान द्वारा किया जाना उचित नहीं माना गया है।

यहां यह अवगत कराना है कि प्राधिकरण बोर्ड की 66 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 के मद संख्या 66 (05) के कार्यवृत्त में प्रकरण पर विस्तार से चर्चा किये जाने तथा तदोपरान्त प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर समिति की संस्तुतियों पर सैद्धान्तिक सहमति दिये जाने का उल्लेख है। अतः नियोजन विभाग द्वारा प्रकरण में की गयी आपत्ति के निराकरण के दृष्टिगत उपाध्यक्ष हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण स्तर से समिति की गठन कर समिति की परीक्षण आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अविभासी अभियन्ता

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण

8

मद संख्या 66 (07) भवनों/भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु भवनों /भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड निर्णय के अनुपालन में प्रकरण विस्तृत आख्या सहित

मद संख्या 66 (07)	भवनों/भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में।	भवनों /भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त विस्तृत वित्तीय बिन्दुओं का विस्तार पूर्वक स्पष्ट मन्तव्य सहित एवं सुस्पष्ट तथ्यों सहित आगामी बोर्ड बैठक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में प्रकरण विस्तृत आख्या सहित मद संख्या 22 पर पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 66 (09)	प्राधिकरण बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त नियमानुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कार्यालय पत्र संख्या:- 2622 दिनांक 14.02.2020 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए शासन से अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय शासन स्तर से ही लिया जाना है।
मद संख्या 66 (11)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रस्तावित आय-व्ययक।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रस्तावित आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 का दिनांक 31-12-2018 तक का वास्तविक आय-व्यय पर विस्तार से प्रत्येक मदवार विचार-विमर्श किया गया तथा प्राधिकरण की आय बढ़ोत्तरी/ मानीटरिंग करने के निर्देश उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 को दिये गये तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2019-2020 के प्रस्तावित बजट को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।	स्वीकृत बजट के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। संदर्भित वर्ष के वास्तविक आय-व्यय का विवरण संलग्न है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
मद संख्या 66 (12)	प्रदेश में आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रदेश में आवास विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-40/V-2-2019-83(आ0)/2018 दिनांक 10 जनवरी, 2019 को विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनरीक्षण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त शमन शुल्क की पुनरीक्षित दरों को अंगीकृत करते हुए तदनुसार प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	कार्यालय आदेश संख्या:-2375 दिनांक 16.01.2020 के द्वारा दिनांक 01.01.2020 से प्रभावी करते हुए तदनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

मद संख्या 66 (13)	<p>उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित एकल आवास, व्यावसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में नर्सिंग होम/क्लीनिक/आवासीय भू-उपयोग में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलोजी लैब/डाइग्नोस्टिक सेन्टर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल कैच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक /ओपीडी/पैथोलोजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेन्टर / चाइल्ड केयर /नर्सरी स्कूल कैच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन /विनियमितीकरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्राधिकरण की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्राधिकरण में पूर्व से प्रचलित शमन उपविधि 1996 में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त शासन द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत शमन शुल्क उपविधि एकमुश्त एक बार समाधान हेतु आवश्यक संशोधन को अंगीकृत करते हुए शासन को अवगत कराने पर सहमति प्रदान की गई । घनी आबादी जैसे श्रवणनाथ नगर से हर की पैड़ी तक के क्षेत्र को पार्किंग हेतु शतप्रतिशत शमन करने अन्य क्षेत्रों के नव निर्माणों में 50 प्रतिशत पार्किंग क्षेत्र को ही शमन किये जाने के निर्देश के साथ प्रस्ताव अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय की ओर से शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये ।</p>	<p>प्रश्नगत योजना के अंतर्गत प्राधिकरण में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। शासन द्वारा पुनः शासनादेश संख्या 1152/V-2/2019-105 (आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 27.08.2019 यथा संशोधन आदेश संख्या 1201/V-2/ 2019-105(आ0)/2019 टी0सी0 दिनांक 04.09.2019 तथा संशोधन आदेश संख्या 1272/V-2/2019-105 (आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा दिनांक के द्वारा स्वैक्षिक समाधान योजना दिनांक 31.12.2019 तक के लिए लागू की गयी थी। जिसका विवरण बोर्ड बैठक के मद संख्या 68(1) में उल्लिखित है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
मद संख्या 66 (14)	<p>प्राधिकरण में लिपिकीय श्रेणी के अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सहमति के आधार पर पुनः संयत वेतन पर सेवार्यें प्राप्त किये जाने विषयक।</p>	<p>प्राधिकरण में लिपिकीय श्रेणी के अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सहमति के आधार पर सेवार्यें प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अध्यक्ष /आयुक्त महोदय द्वारा गुण-दोष एवं उपयोगिता के आधार पर उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 को अधिकृत किये जाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>

अधिसूचना  
प्राधिकरण

मद संख्या-70 (02)


63-(20) हरिद्वार में हर की पैडी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर भीमगोडा , गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों के नियमितीकरण हेतु मानक सिद्धान्त तैयार किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई बैठक में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर नीति तैयार की जा रही जिस पर बोर्ड द्वारा शासन की नीति /निर्देशानुसार प्रकरणों पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

मद संख्या-64 (11)

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1819 (2) दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करते हुए हरिद्वार जिले के ऐसे भू-भाग जो पूर्व में प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे को सम्मिलित किया गया है, की महायोजना तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव पर कार्यवाही उडा स्तर से गतिमान है, बोर्ड द्वारा उडा को समयान्तर्गत कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

मद संख्या-66 (05)

स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान में प्राप्त आपत्ति /सुझाव के निस्तारण के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त जन-सामान्य से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर समिति की संस्तुतियों पर सैद्धान्तिक सहमति दी गई तथा जोनल प्लान के अनुमोदन हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय में होने के कारण यहाँ से एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman

67 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.03.2019 (परिचालन के माध्यम से) की अनुपालन आख्या

मद संख्या  
67(01)


हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा एवं उसके परिसर के उत्तर दिशा में स्थित सिंचाई विभाग के 2700 वर्गमी० भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में

हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा एवं उसके परिसर के क्षेत्रफल सहित 119000.00 वर्ग फुट का भू-उपयोग मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2018 के अनुपालन में प्राधिकरण बोर्ड बैठक संख्या 64 बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 में लिए गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड शासन आवास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-705/वी-2/26(आ०)18/2018 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग कुम्भ मेला क्षेत्र से व्यावसायिक किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। उक्त क्षेत्रफल के 119000.00 वर्ग फुट के अन्तर्गत ही 38मी० X 78मी० (2964 वर्गमी०) क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 100 कमरों का प्रस्तावित पर्यटन आवास गृह का निर्माण प्रस्तावित था।

कतिपय कारणों यथा कुम्भ मेला हेतु सड़क पर अतिरिक्त दबाव, प्रस्तावित पर्यटक आवास गृह स्थल के ऊपर हाई टेन्शन लाईन, सीवर लाईन तथा गंगा से निकट होने के कारण उक्त स्थल पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु उपर्युक्त नहीं पाया गया। मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक तथा दिनांक 10.02.2019 में पुनः मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड तथा मा० पर्यटन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की उपस्थिति में हुई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार पूर्व में अनुमोदित स्थल के स्थान पर अलकनंदा परिसर के उत्तर में गंगा कैनल के समानान्तर स्थित भूमि जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, पर प्रस्तावित पर्यटक आवास गृह निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रबन्धक संचालक/नोडल अधिकारी उत्तरप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि० लखनऊ उ०प्र० के पक्ष में आदेश संख्या 14/नो०/हरि० /28/2001-02 दिनांक 03.04.2019 द्वारा शमन स्वीकृति निर्गत किया गया।

अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

  
सचिव



		<p>पत्र संख्या 843 दिनांक 14 जून 2018 के अनुसार मा0 मंत्री परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा भी उक्त भूमि का हस्तान्तरण पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को किया जा चुका है। इस प्रकार पूर्व निर्मित होटल अलकनंदा सहित प्रस्तावित पर्यटन आवास गृह निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तित की गयी कुल 119000.00 वर्ग फुट भूमि में से पूर्व प्रस्तावित स्थल सिंचाई विभाग के लिए छोड़ते हुए वर्तमान प्रस्तावित स्थल (अलकनंदा होटल के उत्तर दिशा में गंगा कैनल के साथ-साथ) संलग्न साईट प्लान के अनुसार 2700 वर्ग मी0 भूमि को 119000.00 वर्गफुट के अन्तर्गत ही रखते हुए हरिद्वार महायोजना 2025 में अंकित भू-उपयोग कुम्भ मेला क्षेत्र से व्यावसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने तथा इस स्थल पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का पर्यटक आवास गृह निर्मित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बार्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमोदित।</p>	
<p>मद संख्या 87(क)- (01)</p>	<p>नगर निगम ऋषिकेश के अन्तर्गत सम्पत्ति संख्या खसरा नं0 267मि0, 209मि0, 271 मि0, कुल क्षेत्रफल 11291.283 वर्ग मी0 को वर्तमान भूउपयोग बस अड्डा के जोनिंग रेगुलेशन में उल्लिखित भू उपयोग के अन्तर्गत सामान्य आवास एवं व्यापारिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>ऋषिकेश स्थित सम्पत्ति संख्या 83 खसरा नं0 267मि0, 209मि0, 271 मि0, कुल क्षेत्रफल 11291.283 वर्ग मी0 पर आवेदन श्री अशोक प्रपन्न शर्मा द्वारा समूह आवास एवं व्यावसायिक गतिविधियों के निर्माण हेतु मानचित्र संख्या एच0आर0डी0ए0/आर0/ 0446/ 2018-19 प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत मानचित्र स्थल ऋषिकेश महायोजना 2011 में बस अड्डा होने के कारण निरस्त किया जा चुका है। आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.02.2019 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल उ0प्र0 राजकीय परिवहन निगम को टीनशेड डालकर बस अड्डा संचालन हेतु दिया गया था। किन्तु निगम द्वारा प्रश्नगत स्थल पर स्थाई रूप से अनाधिकृत निर्माण किये जाने के कारण मा0 न्यायालय में वाद संख्या 203/1980 योजित किया गया। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकार करते हुए निर्णय आवेदक के पक्ष में दिया गया। तदोपरान्त परिवहन निगम</p>	<p>प्रश्नगत प्रकरण में मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में क्षेत्र मसूरी- देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>

द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया। आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपील संख्या 481/2007 योजित की गयी। जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 14.07.2010 में पारित करते हुए प्रश्नगत स्थल को खाली कर 01 वर्ष में कब्जा देने के निर्देश दिये गये। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में परिवहन निगम द्वारा स्थल पर निर्मित अस्थाई/स्थाई बस अड्डे के निर्माण को ध्वस्त करते हुए भूमि का कब्जा आवेदक श्री अशोक प्रपन्न शर्मा को प्राप्त कराया गया। तदोपरान्त उक्त मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पत्र संख्या 1885/V-2/90(आ0)/2018 दिनांक 26 दिसम्बर 2018 के माध्यम से भी आख्या चाही गयी है।

अवगत कराना है कि ऋषिकेश महायोजना 2011 की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार स्वीकार भूउपयोग में आवेदक द्वारा प्रस्तावित निर्माण (समूह आवास एवं व्यावसायिक) की स्वीकृति अनुमन्य नहीं है। किन्तु विकास प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित भू उपयोग सामान्य आवासीय भवन, कार्यालय, फुटकर व व्यापारिक भवन निर्माण की अनुमन्यता के दृष्टिगत सामान्य आवास एवं व्यापारिक भवन निर्माण की स्वीकृति भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार विचारार्थ।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

<p>मद संख्या 67(क)- (02)</p>	<p>शासनादेश संख्या 39/V-2-2019-55 (आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी 2019 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में निहित मानकों के संशोधनों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>शासनादेश संख्या 39/V-2-2019-55 (आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी 2019 द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 888/V-2013-55 (आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 12.06.2015 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में यथा संशोधन करते हुए प्रख्यापित की गयी थी। उक्त भवन उपविधि के कतिपय प्राविधानों को समय-समय पर यथा संशोधन भी किया गया है।</p> <p>राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों यथा भवन हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता, भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल, पहुँच मार्ग की चौड़ाई आदि कम होने की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम मानकों को यथावश्यक कम करते हुए आवासीय, चिकित्सीय, पर्यटन, व्यावसायिक आदि गतिविधियों का विस्तार किये जाने हेतु भवन उपविधि के मानकों को संलग्न परिशिष्ट-1 एवं तालिका-01, 02, 03 के अनुसार संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की स्वीकृति महामहीम श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान की गयी।</p> <p>उपरोक्त भवन उपविधि के संशोधनों के अतिरिक्त शेष अन्य प्राविधान संख्या 888/V-2013-55(आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 12.06.2015 एवं तद्विषयक संशोधित शासनादेशों के प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। शासन द्वारा उक्त संशोधित प्राविधानों को सम्बन्धित प्राधिकरणों के बोर्ड से अंगीकृत कराते हुए लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या 39/V-2-2019-55 (आ0)/2006-टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी 2019 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में निहित मानकों के संशोधनों को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमोदित।</p>	<p>संशोधन के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
--------------------------------------	---	--	---

अधिसूची  
परिचालन विधि से अनुमोदित

68 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2019 (परिचालन के माध्यम से) की अनुपालन आख्या			
मद संख्या 68 (01)	एकल आवास, व्यावसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनक/ओपीडी/पैथोलोजी लैब/डाईग्नोस्टिक सेन्टर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल कैच एवं प्ले ग्रुप से सम्बन्धित निर्माणों को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमीतिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या 1152/V-2/2019-105 (आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 27.08.2019 यथा संशोधन आदेश संख्या 1201/V-2/2019-105 (आ0)/2019 टी0सी0 दिनांक 04.09.2019 तथा संशोधन आदेश संख्या 1272/V-2/2019-105 (आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू-उपयोग में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनक/ओपीडी/पैथोलोजी लैब/डाईग्नोस्टिक सेन्टर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल कैच एवं प्ले ग्रुप से सम्बन्धित निर्माणों को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमीतिकरण किये जाने हेतु एकल समाधान (One time settelment) योजना लागू किया जाना है, जो दिनांक 31.12.2019 तक प्रभावी होगी। शासनादेश के अनुसार उपरोक्त उपविधि के प्राविधान/मानकों को प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार किया जाना है। तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।	हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2019 तक के लिए लागू की गयी थी। उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि में कुल 161 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष माह मार्च 2020 तक कुल रूपये 562.18 लाख प्राधिकरण कोष में जमा हुए हैं। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
69 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2019 (परिचालन के माध्यम से) की अनुपालन आख्या			
मद संख्या 69 (01)	खसरा संख्या 04/26 को हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण की महायोजना 2025 में कुम्भ क्षेत्र भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने विषयक।	उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास अनुभाग-03 के पत्र संख्या 2655 दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के साथ संलग्न श्री जयेश रादडीया, मा0मंत्री भारत सरकार के पत्र संख्या 444 दिनांक 19.11.2019 जोकि मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन सरकार को सम्बोधित है तथा उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-02 के पत्र संख्या 1568 दिनांक 12.12.2019 जिसके अन्तर्गत नगर निगम हरिद्वार की सीमा स्थित खसरा संख्या 04/26 ग्राम भोपतवाला कलां परगना ज्वालापुर तहसील व जिला	कार्यालय पत्र संख्या 2290 दिनांक 06.01.2020 को प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया है।


अधिकारिता अनियंत्रित  
हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण

हरिद्वार को हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण की महायोजना 2025 में "कुम्भ क्षेत्र" भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 04/26, भूखण्ड क्षेत्रफल 1084.07 वर्ग मी० पर हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.03.1996 में आवासीय आश्रम का मानचित्र स्वीकृत किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल स्वीकृति मानचित्र स्थल से लगा हुआ है जिसे संलग्न साईट प्लान में बी० के रूप में दर्शित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 468 दिनांक 12.07.2019 के द्वारा भूउपयोग परिवर्तित किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जिसके अनुसार मुख्य नगर नियोजक की तकनीकी आख्या/अभिमत सहित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बोर्ड के अभिमत से शासन को अवगत कराया जाना है। तत्कम में प्रश्नगत खसरा संख्या 04/26 ग्राम भोपतवाला कलां परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार कुल क्षेत्रफल 3522 वर्ग मी० को कुम्भ मेला भूउपयोग से आवासीय आश्रम में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

  
अधिसासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

मद संख्या 70 (03)

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

# BUDGET 2020-21



**BUDGET 2020-21**  
**HARIDWAR ROORKEE DEVELOPMENT AUTHORITY**  
**HARIDWAR**

क्र० स०	मद	2018-2019	2019-2020	2019-2020	2020-2021
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
1	राजस्व प्राप्तियाँ	944.36	1127.00	1472.01	2389.00
2	कर राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00
3	कर से भिन्न राजस्व	944.36	1127.00	1472.01	2389.00
4	पूंजी प्राप्तियाँ:-	1437.61	13919.00	2551.82	7578.00
5	ऋणों की वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अन्य प्राप्तियाँ	1437.61	13919.00	2551.82	7578.00
7	उधार और अन्य देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल प्राप्तियाँ (1+4)	2381.97	15046.00	4023.83	9967.00
9	कुल व्यय (10+13)	2954.46	15046.00	890.74	9967.00
10	राजस्व खाते पर जिसमें से	592.01	1098.00	661.14	2389.00
11	ब्याज भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
12	पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00
13	पूंजी खाते पर	2362.45	13948.00	229.60	7578.00
14	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+) (10-1)	-352.35	-29.00	-810.87	0.00
15	प्रभावी राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (14-12)	-352.35	-29.00	-810.87	0.00
16	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) [9-(1+5+6)]	572.49	0.00	-3133.09	0.00
17	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (16-11)	572.49	0.00	-3133.09	0.00

# HARIDWAR-ROORKEE DEVELOPMENT AUTHORITY, HARIDWAR

## Budget at a Glance 2020-21

(Rs. In lac)

		Actual Budget 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Actual Budget 2019-20	Budget Estimates 2020-21
<b>1</b>	<b>Revenue Income</b>				
	<b>A</b>				
1	Map Fee	25.71	100.00	41.80	60.00
2	Subdivision Fee 50%	199.92	200.00	452.56	510.00
3	Compound Fee 25%	84.25	175.00	321.69	420.00
4	Supervision Fee	22.80	50.00	36.23	60.00
5	Other Income ( Tender, etc.)	10.57	30.00	8.94	18.00
6	Development Fee 10%	25.02	80.00	69.06	96.00
7	Land use conversion Fee 10%	23.73	25.00	35.04	60.00
8	Ambaar Fee 5%	11.26	30.00	31.08	44.00
9	Free hold Fee 10%	0.06	5.00	1.69	12.00
10	Maintenance Fee of Harilok	1.64	4.00	2.27	5.00
11	Maintenance Fee of Inderalok 1	13.49	10.00	14.96	24.00
12	Maintenance Fee of Transport Nagar	0.18	3.00	1.70	3.00
13	Haritima Fee 10%	22.46	80.00	62.15	87.00
14	Sale of brochure	0.31	10.00	0.00	5.00
15	Labour Cess	0	0	0	625.00
	<b>Total (A)</b>	<b>441.40</b>	<b>802.00</b>	<b>1079.17</b>	<b>2029.00</b>
	<b>B</b>				
<b>1</b>	<b>Interest on investments</b>	502.96	325.00	392.84	360.00
	<b>Total (B)</b>	<b>502.96</b>	<b>325.00</b>	<b>392.84</b>	<b>360.00</b>
	<b>Total Revenue Income(A+B)</b>	<b>944.36</b>	<b>1127.00</b>	<b>1472.01</b>	<b>2389.00</b>

CHIEF FINANCE OFFICER

SECRETARY


VICE CHAIRMAN


CHAIRMAN/COMMISSIONER




(Rs. In lac)

		Actual Budget 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Actual Budget 2019-20	Budget Estimates 2020-21
<b>2</b>	<b>Capital Income</b>				
<b>C</b>	<b>Schemes</b>				
1	Shivlok scheme	0.45	3.00	0.27	16.00
2	Harilok scheme	4.68	20.00	5.56	51.00
3	Shyamlok scheme	1.93	5.00	0.24	19.00
4	Ashray Yojana scheme	7.90	8.00	5.36	46.00
5	Transport Nagar, Haridwar	73.63	4000.00	76.83	76.00
6	Indra Lok Scheme -1	146.05	3000.00	7.87	1394.00
7	Indra Lok Scheme - 2	0.00	1800.00	0.00	100.00
8	Asaf Nagar Roorkee scheme	0.00	50.00	0.00	100.00
9	Loan (HUDCO & other financial inst.)	0.00	3000.00	0.00	0.00
10	Recovery from staff for HBA & Car loan etc.	3.47	3.00	0.00	1.00
11	Shelter Fund EWS/LIG	21.92	100.00	154.04	80.00
12	PMAY	319.37	0.00	12.81	1405.00
	<b>Total (C)</b>	<b>579.40</b>	<b>11989.00</b>	<b>262.98</b>	<b>3288.00</b>
<b>D</b>					
1	<b>Infrastructure Development Fund</b>	858.21	1630.00	2276.44	3138.00
	<b>Total (D)</b>	<b>858.21</b>	<b>1630.00</b>	<b>2276.44</b>	<b>3138.00</b>
<b>E</b>					
1	Deposit work (Kumbh Mela 2021 etc. )	0.00	300.00	12.40	1152.00
	<b>Total (E)</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>12.40</b>	<b>1152.00</b>
	<b>Total Capital Income (C+D+E)</b>	<b>1437.61</b>	<b>13919.00</b>	<b>2551.82</b>	<b>7578.00</b>
	<b>Total Income (1+2)</b>	<b>2381.97</b>	<b>15046.00</b>	<b>4023.83</b>	<b>9967.00</b>


  
CHIEF FINANCE OFFICER


  
SECRETARY


  
VICE CHAIRMAN


  
CHAIRMAN/COMMISSIONER

		Actual Budget 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Actual Budget 2019-20	Budget Estimates 2020-21
<b>I</b>	<b>Revenue Expenditure</b>				
<b>A</b>	<b>Establishment</b>				
(i)	Staff salary & allowances	450.12	525.00	500.53	575.00
(ii)	T.A. bill	0.98	2.00	0.64	2.00
(iii)	Encashment /Pension Anshdan	6.81	5.00	0.00	30.00
(iv)	Honorarium	0.00	0.50	0.00	1.00
(vi)	Medical reimbursement	2.39	8.00	0.85	12.00
	<b>Total (A)</b>	<b>460.30</b>	<b>540.50</b>	<b>502.02</b>	<b>620.00</b>
<b>B</b>	<b>Office / Misc. Expenditure</b>				
(i)	Postage	0.29	0.50	0.28	1.00
(ii)	Stationery	2.61	5.00	2.04	5.00
(iii)	Office Maintenance	17.22	25.00	22.00	30.00
(iv)	Chairman office Maintenance	0.80	3.00	0.40	2.00
(v)	Telephone Expenditure.	2.83	4.00	3.22	4.00
(vi)	Library	0.06	0.50	0.00	2.00
(vii)	Legal Expenditure.	5.31	40.00	12.43	15.00
(viii)	Atithi Satkar	1.07	2.00	1.15	2.00
(ix)	Printing	2.27	3.00	0.00	3.00
(x)	Advertisement	19.70	25.00	3.30	20.00
(xi)	Audit Fee	0.00	5.00	0.00	1.00
(xii)	Misc. Expenditure	10.21	10.00	8.43	10.00
(xiii)	Employee Welfare	0.00	1.00	0.00	10.00
(xiv)	Maintenance. Of Machines	0.46	1.50	1.07	3.00
(xv)	Maintenance of Electricity	5.80	6.00	5.91	8.00
(xvi)	Discretionary Fund	1.00	2.00	2.00	6.00
(xvii)	Temp. Advance.	0.90	2.00	0.01	2.00
(xviii)	Computer Maintenance	1.91	4.00	2.08	5.00

  
CHIEF FINANCE OFFICER

  
SECRETARY

  
VICE CHAIRMAN

  
CHAIRMAN/COMMISSIONER

		Actual Budget	Budget Estimates	Actual Budget	(Rs. In lac) Budget Estimates
		2018-19	2019-20	2019-20	2020-21
(xix)	Ambaar Fee	0.00	15.00	0.00	36.00
(xx)	Maintenance In Harilok	7.40	8.00	6.80	10.00
(xxi)	Maintenance Fee of Inderlok	4.63	7.00	6.85	20.00
(xxii)	Maintenance Fee of Transport Nagar,	0.00	5.00	0.00	10.00
(xxiii)	F.B.T. & Other Tax	0.00	250.00	17.39	730.00
(xix)	Labour Cess	0.00	0.00	0.00	625.00
	<b>Total (B)</b>	<b>84.47</b>	<b>424.50</b>	<b>95.36</b>	<b>1560.00</b>
<b>C</b>	<b>Vehicle</b>				
(i)	Maintenance	1.91	3.00	2.40	3.00
(ii)	Petrol / Diesel	12.55	18.00	13.41	20.00
(iii)	Vehicle on rent	19.55	30.00	29.72	40.00
	<b>Total (C)</b>	<b>34.01</b>	<b>51.00</b>	<b>45.53</b>	<b>63.00</b>
<b>D</b>	<b>Advance to Employee</b>				
(i)	Vehicle	0.00	2.00	0.00	7.00
(ii)	H.B.A.	0.00	10.00	0.00	14.00
	<b>Total (D)</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>
<b>E</b>	<b>Master Plan</b>				
	<b>Total (E)</b>	<b>13.23</b>	<b>40.00</b>	<b>18.23</b>	<b>25.00</b>
		<b>13.23</b>	<b>40.00</b>	<b>18.23</b>	<b>25.00</b>
<b>F</b>	<b>Computerization of H R D A office</b>				
	<b>Total (F)</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total Revenue Expenditure (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>592.01</b>	<b>1098.00</b>	<b>661.14</b>	<b>2389.00</b>

CHIEF FINANCE OFFICER


SECRETARY


VICE CHAIRMAN


CHAIRMAN/COMMISSIONER


(Rs. In lac)

		Actual Budget 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Actual Budget 2019-20	Budget Estimates 2020-21
2	<b>Capital Expenditure</b>				
A	Purchase of Assets				
(i)	Purchase of Vehicle / Machine	0.00	15.00	0.00	10.00
(ii)	Purchase of Computer.	4.17	15.00	8.22	10.00
(iii)	Furniture / fixture	8.34	10.00	9.95	10.00
	<b>Total (A)</b>	<b>12.51</b>	<b>40.00</b>	<b>18.17</b>	<b>30.00</b>
B	Purchase of Land				
(i)	For New Scheme	1636.37	3500.00	0.00	1600.00
	<b>Total(B)</b>	<b>1636.37</b>	<b>3500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1600.00</b>
C	<b>Schemes</b>				
(i)	Shivlok Scheme	0.40	1.00	0.00	0.00
(ii)	Shyamlok Scheme	0.00	2.00	0.00	0.00
(iii)	Harilok Scheme	0.00	5.00	0.00	0.00
(iv)	Repayment of loan	0.00	1000.00	0.00	0.00
(v)	Interest on Loan	0.00	360.00	0.00	0.00
(vi)	Consultancy / Training etc.	0.00	10.00	0.00	10.00
(vii)	Deposit Works /Kumbh Mela 2016	25.30	50.00	3.13	18.00
(viii)	Haritima / Plantation	77.66	80.00	80.00	85.00
(ix)	Transport Nagar Scheme	23.50	300.00	0.00	170.00
(x)	BHEL Rehab Scheme	0.00	200.00	0.00	50.00
(xi)	Indra Lok Scheme- 1	146.60	700.00	67.16	60.00
(xii)	Indra Lok Scheme - 2	0.00	2500.00	-1.66	200.00
(xiii)	Asaf Nagar Roorkee	0.00	700.00	0.00	15.00
(xiv)	New Scheme	0.00	200.00	0.00	30.00



  
CHIEF FINANCE OFFICER


  
SECRETARY


  
VICE CHAIRMAN


  
CHAIRMAN/COMMISSIONER

		Actual Budget	Budget Estimates	Actual Budget	(Rs. In lac) Budget Estimates
		2018-19	2019-20	2019-20	2020-21
(xv)	P M A Y	0.00	0.00	0.00	1000.00
(xvi)	Board fund	11.12	800.00	0.00	20.00
	<b>Total (C)</b>	<b>284.58</b>	<b>6908.00</b>	<b>148.63</b>	<b>1658.00</b>
<b>D</b>	<b>Infrastructure Development Fund</b>	428.99	3500.00	62.80	3138.00
	<b>Total (D)</b>	<b>428.99</b>	<b>3500.00</b>	<b>62.80</b>	<b>3138.00</b>
<b>E</b>	<b>Kumbh Mela 2021</b>	0.00	0.00	0.00	1152.00
	<b>Total (E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1152.00</b>
	<b>Total Capital Expenditure (A+B+C+D+E)</b>	<b>2362.45</b>	<b>13948.00</b>	<b>229.60</b>	<b>7578.00</b>
	<b>Total Expenditure (1+2)</b>	<b>2954.46</b>	<b>15046.00</b>	<b>890.74</b>	<b>9967.00</b>

  
CHIEF FINANCE OFFICER

  
SECRETARY

  
VICE CHAIRMAN


  
CHAIRMAN/COMMISSIONER

## मद संख्या 70 (04)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु बजट अनुमोदन के सम्बन्ध में।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना विकास निधि मद के अन्तर्गत सिविल कार्यों हेतु रू0. 1174.37 तथा उद्यान कार्यों हेतु रू0. 207.01 लाख सहित कुल रू0. 1381.38 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके बजट प्राविधान का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे जाने के निर्देश आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 09.12.2019 में दिये गये थे। दिये गये निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत कार्यों की राशि रू0. 1381.38 लाख सहित कुल रू0. 3138.00 लाख का प्राविधान प्राधिकरण बजट के अवस्थापना विकास निधि मद में किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।



अधिसूची अधिसूचना  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

मद संख्या-66 (09)

प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त शासन को पुनः पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

मद संख्या-70 (03)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2020-2021 का प्रस्तावित

आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देश प्राधिकरण को दिये गये :-

- 1-पूँजीगत आय में इन्द्रलोक आवास योजना भाग-1 में निर्मित 96, 2बी0एच0के0भवनों के विक्रय न होने पर उक्त भवनों की कास्ट बेनीफिट एनालसिस करते हुए, इन भवनों के निर्माण से कोई वित्तीय हानि प्राधिकरण को नहीं हो तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- 2-प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भवनों के बजाय भूखण्डों को विकसित कर विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये।
- 3-किसी भी योजना के लिए हुडकों से ऋण प्राप्त करने से पहले विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
- 4- Assets (परिसम्पत्तियों) एवं Liabilites (देनदारियों) का स्पष्ट लेखा-जोखा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
- 5-बैलेन्स शीट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
- 6-मुख्य वित्त अधिकारी को Financial Management Training (Correspondence Course) कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रस्तावित संलग्नक बजट को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

  
Secretary

  
Vice Chairman


  
Chairman

मद संख्या 70 (05)

हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में।

हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों (कुल क्षेत्रफल 1,04,613.31 वर्ग मी०) का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य कराया जाना है। जिसके अन्तर्गत पार्कों में आर्बोरिकल्चर, लैण्ड स्केपिंग, उद्यानीकरण, सिविल कार्य, फुटपाथ, बेंच स्थापना, गार्डन लाईट, पेंट पुताई व खेल सामग्री आदि स्थापित करायी जानी प्रस्तावित है। आगामी कुम्भ मेला-2021 के दृष्टिगत उक्त पार्कों के निर्माण एवं विकास कार्य उपयोगी रहेगा। कार्य हेतु ₹0. 1071.72 लाख का आगणन तैयार कराया गया है। जिसे अवस्थापना विकास निधि मद से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि से ₹0. 1071.72 लाख की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



अविभासी अधिकारी  
हरिद्वार-खड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार



**मद संख्या-70 (04)**

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु प्रस्तावित कुल रू० 3138.00 लाख का बजट इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि कुम्भ मेला-2021 के दृष्टिगत वाले कार्य प्राथमिकता पर कराये जायें।

**मद संख्या-70 (05)**

हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के लिये प्रस्तावित रू० 1071.72 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि जिन पार्कों में रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन (RWA) यह लिखित में (Undertaking) दे देगी कि सौन्दर्यीकरण के पश्चात उक्त पार्क के रख-रखाव, सुरक्षा एवं अन्य सभी जिम्मेदारी उनकी होगी, उन्हीं पार्कों का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य One Time के अन्तर्गत कराये जाये तथा उक्त पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव पर भविष्य में कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

**मद संख्या-70 (06)**

आगामी महाकुम्भ मेला-2021 के दृष्टिगत हरिद्वार शहर के सौन्दर्यीकरण कार्यों हेतु प्रस्तावित रू० 926.40 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कराये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-70 (07)**

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हाईमास्ट लाईटों की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए प्रस्तावित रू० 114.00 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कराये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-70 (08)**

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार से जाने वाले गंगनहर (कांवड पट्टी) पर चेंजिंग रूम /शौचालय निर्मित किये जाने के लिये प्रस्तावित बजट रू० 60.00 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये।

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman

## मद संख्या 70 (06)

## आगामी महाकुम्भ मेला-2021 के दृष्टिगत हरिद्वार शहर के सौन्दर्यीकरण किये जाने विषयक।

माह जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक हरिद्वार में महाकुम्भ मेला 2021 का आयोजन किया जाना है। उक्त आयोजन के दृष्टिगत हरिद्वार के ऐसे सार्वजनिक स्थल यथा चौराहे/तिराहे इत्यादि जहां से पर्यटक/श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों का आवागमन रहेगा, का पुनर्द्वार के साथ-साथ लाईटिंग एवं पेंटिंग आदि के माध्यम से सौन्दर्यीकरण कराया जाना उचित होगा, साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि हरिद्वार एक विश्व स्तरीय नगरी है जहां पर निरन्तर पर्यटकों का आवागमन बना रहता है किन्तु धार्मिक स्थलों को छोड़कर पर्यटकों के मनोरंजन/आकर्षित करने हेतु कोई अन्य सुविधा/स्थल उपलब्ध नहीं है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए उक्त के अतिरिक्त हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण, **Facade Lighting of Bridges, Paint My city** आदि कार्य प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से कराया जाना प्रस्तावित है। जिसका अनुमानित विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रू०. लाख में।
01.	कुल 16 चौराहों का निर्माण एवं विकास कार्य (सूची संलग्नक-च पर)	526.40
02.	12 पुलों पर फसाड़ लाईटिंग का कार्य	200.00
03.	पेंट माई सिटी के अन्तर्गत लगभग 4.00 लाख वर्गफुट क्षेत्रफल में पेंट आदि का कार्य	200.00
	<b>कुल योग</b>	<b>926.40</b>

अतः उपरोक्तानुसार कार्य प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से रू०. 926.40 लाख की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


अधिसूची अनुसार  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

मद संख्या-70 (07)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हाईमास्ट लाईटों की आपूर्ति एवं स्थापना के संबंध में।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का क्षेत्र सम्पूर्ण जिला हरिद्वार है। हरिद्वार में प्रायः वर्षभर तीर्थयात्रियों/पर्यटकों का अवागमन बना रहता है तथा प्रत्येक वर्ष कांवड मेला व प्रत्येक छः वर्ष में कुम्भ/अर्द्धकुम्भ मेलों का आयोजन होता रहता है। क्षेत्र में कई ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ रात्रि के लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। उक्त के दृष्टिगत ऐसे स्थानों को हाईमास्ट लाईट के माध्यम से प्रकाशमान किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर 20 हाई मास्ट लाईटों की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य कराया जाना है। जिसपर लगभग रू0. 114.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत 20 हाईमास्ट लाईटों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से रू0. 114.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


  
अधिसूची अधिसूचना  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

## मद संख्या-70 (08)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार से जाने वाले गंगनहर (कांवड पटरी) पर चेंजिंग रूम/शौचालय निर्मित किये जाने के संबंध में।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का क्षेत्र सम्पूर्ण जिला हरिद्वार है। हरिद्वार से रूड़की की ओर जाने वाली गंगनहर के साथ-2 निर्मित मार्ग का उपयोग कांवड पटरी के रूप में किया जाता है। हरिद्वार में अत्यधिक भीड़ होने की दशा में इस मार्ग का उपयोग वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी किया जाता है। वर्तमान में इस मार्ग पर शौचालय आदि की उचित व्यवस्था नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि उचित स्थलों का चयन करते हुए उक्त मार्ग पर चेंजिंग रूम/शौचालय के साथ-2 चेंजिंग रूम निर्मित करा लिया जायें। कांवड पटरी मार्ग की लम्बाई लगभग 30 कि०मी० है। प्रत्येक 1.5 कि०मी० पर 01 चेंजिंग रूम/शौचालय अर्थात् कुल 20 चेंजिंग रूम/शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक चेंजिंग रूम/शौचालय की अनुमानित लागत रू०. 3.00 लाख है इस प्रकार इस कार्य पर लगभग रू०. 60.00 लाख का व्यय अनुमानित है। प्रश्नगत कार्य प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार कांवड पटरी मार्ग पर 20 चेंजिंग रूम की स्थापना हेतु प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से रू०. 60.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
अधिसासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

## मद संख्या 70 (09)

## लक्सर क्षेत्र में रोड़वेज बस स्टैण्ड व शिवचौक का निर्माण एवं शिवमूर्ति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री संजय गुप्ता मा0 विधायक लक्सर के पत्र दिनांक 06.08.2020 जो मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित है पर मा0 मुख्यमंत्री के पृष्ठांकन आदेश के अनुसार लक्सर क्षेत्र में निम्न कार्य प्राधिकरण द्वारा कराये जाने प्रस्तावित हैं।

## 01. बस स्टैण्ड की स्थापना का कार्य:-

प्रश्नगत कार्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा ग्राम केहडा परगना मंगलौर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार स्थित भूमि खसरा न0. 9/2 रकबई 0.13 हे0 व खसरा न0. 10 रकबई 0.102 हे0 कुल रकबई भूमि 0.233 हे0 भूमि जिसमें से 0.072 हे0 में वन विभाग का कार्यालय/भवन निर्मित है। वन विभाग के निर्मित कार्यालय/भूमि को छोड़ते हुए प्रस्तावित भूमि रकबई 0.161 हे0 राजकीय परिवहन निगम उत्तराखण्ड (बस स्टैण्ड) के निर्माण का चयन किया गया है। कार्य हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग हरिद्वार द्वारा डी0पी0आर0 D.S.R 2016 के आधार पर तैयार कर प्रस्ताव मेला अधिष्ठान को प्रेषित किया गया। मेला प्रशासन द्वारा जांचोपरान्त कार्य की लागत को रू0. 156.08 लाख आंकलित करते हुए अपने पत्र संख्या 1124 दिनांक 24.01.2020 के माध्यम से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड के शहरी विकास विभाग को प्रेषित की गयी है।

चूंकि मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड द्वारा प्रकरण पर कार्यवाही हेतु हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। तत्कम में भूमि हस्तांतरण एवं कार्यदायी संस्था का चयन कर वर्तमान दरों के आधार पर डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए कार्य को प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से कराये जाने का प्रस्ताव है।

## 02. शिवचौक का निर्माण एवं शिवमूर्ति की स्थापना:-

प्रश्नगत कार्य में पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लक्सर नगर में रूडकी तिराहा पर शिवचौक बनाने व शिवमूर्ति स्थापित करायी जानी प्रस्तावित है। प्रकरण के सम्बन्ध में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड, हरिद्वार को कार्यालय पत्र संख्या 1588 दिनांक 19.08.2020 तथा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, लक्सर को कार्यालय पत्र संख्या 1591 दिनांक 19.08.2020 द्वारा विस्तृत आगणन एवं डी0पी0आर0 प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है। उक्त विभागों से डी0पी0आर0 प्राप्त कर किसी एक विभाग से उक्त कार्य प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि से कराया जाना प्रस्तावित है। प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, लक्सर द्वारा प्रश्नगत कार्य की अनुमानित लागत रू0. 30.41 लाख बतायी गयी है।

तदनुसार बिन्दु संख्या 01 एवं 02 पर प्रस्तुत कार्य हेतु प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से कुल रू0. 186.49 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

जयिमासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण

**मद संख्या-70 (09)**

लक्सर क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैण्ड के लिए प्रस्तावित बजट रु 156.08 लाख अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा इन कार्यों हेतु सम्बन्धित विभाग को सैन्टेज चार्ज का भुगतान नहीं किये जाने, कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कराये जाने के निर्देश दिये गये।

शिवचौक का निर्माण, शिवमूर्ति की स्थापना के लिए प्रस्तावित बजट रु 30.41 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा कार्य तकनीकी कमेटी की वैल्यूशन रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-70 (10)**

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-116 /2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ0 कडच्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिये प्रस्तावित बजट रु 941.02 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा इन कार्यों हेतु सम्बन्धित विभाग को सैन्टेज चार्ज का भुगतान नहीं किये जाने, कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कराये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-70 (11)**

होटल के मानचित्र को शमन किये जाने के सम्बन्ध में महन्त लखन गिरी, सचिव, पंचायती अखाडा, श्री निरंजनी अखाडा परिसर के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-70 (12)**

श्रीमती राखी गर्ग पत्नी श्री अमित कुमार गर्ग आदि द्वारा ग्राम ज्वालापुर अन्दर हद्द के खसरा संख्या-2251 एवं 2249 (अन्दर नगर निगम हरिद्वार) परगना ज्वालापुर जिला हरिद्वार में प्रस्तुत मानचित्र अनुसार होटल स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary

Vice Chairman

Chairman


## मद संख्या 70 (10)

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मा0 कड़च्छ से लगकर गुरुद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढ़ीकरण का कार्य।

मा0 मंत्री शहरी विकास आवास, राजीव गांधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन निर्वाचन उत्तराखण्ड सरकार के पत्र संख्या VIP-2020 दिनांक 13.03.2020 पर मा0 मुख्यमंत्री जी के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 17.03.2020 के अनुसार प्रश्नगत कार्य का आगणन ग्रामीण निर्माण विभाग हरिद्वार के द्वारा रू0. 941.02 लाख का प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सीवर लाईन मरम्मत कार्य जलापूर्ति मरम्मत कार्य विद्युत लाईन मरम्मत कार्य व नाला निर्माण की लागत सम्मिलित है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषण के अनुपालन में उक्त कार्य प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से कराया जाना प्रस्तावित है। जिसमें ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार कार्यदायी संस्था इस शर्त के साथ होगी कि इन्हें सेन्टेज चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने एवं प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से रू0. 941.02 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
अध्यासि अभियन्ता  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

मद संख्या 70 (11)  
होटल के मानचित्र को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

महन्त लखन गिरी, सचिव, पंचायती अखाड़ा, श्री निरंजनी अखाड़ा परिसर में (क्षेत्रफल 22834.03 वर्ग मी०) के अन्तर्गत, मायापुर, हरिद्वार के विरुद्ध योजित वाद संख्या-नो०/हरि०/159/2016-17 के अन्तर्गत निर्मित भवन (ब्लाक-सी) जिसकी स्वीकृति मानचित्र संख्या-मान०/हरि०/एस०डब्लू०-111 /2010-11 दिनांक 05.10.2011 को "आश्रम" हेतु 04 मंजिला भवन स्वीकृत किया गया था तथा इसी परिसर में उक्त के अतिरिक्त ब्लॉक-23 के निर्माण को आदेश संख्या 3294/नो०/हरि०/253/2012-13 के अन्तर्गत दिनांक 29.12.2013 को शमन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा उक्त स्वीकृत भवन के भूतल, प्रथम व द्वितीय तल तक के निर्माण को होटल के रूप में तथा तृतीय तल के निर्माण को आश्रम के रूप में तथा ब्लॉक-23 में शमनित आश्रम निर्माण को भी होटल के रूप में स्वीकृत/शमन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। सहयुक्त नियोजक कुमांउ जिनके द्वारा वर्तमान में नगर नियोजक हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का कार्यभार देखा जा रहा है द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 09.07.2020 के अनुसार "प्रश्नगत स्वीकृत आश्रम हेतु पूर्व महायोजना-2001 के अनुसार स्थल का भू-उपयोग वर्तमान निर्मित क्षेत्र (बी०-1) होने के कारण 1.50 मी० सैट बैंक छोड़ते हुए आश्रम का मानचित्र स्वीकृत है। वर्तमान में महायोजना 2025 के अनुसार व्यावसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत है। अतः प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 15.00 मी० एवं होटल हेतु मार्ग की चौड़ाई 12.00 मी० आवश्यक है क्योंकि मानचित्र पूर्व से स्वीकृत है प्रचलित महायोजना में प्रदर्शित भू-उपयोग में होटल का निर्माण अनुमन्य के अन्तर्गत है। होटल/आश्रम के मानचित्र की स्वीकृति हेतु पूर्व स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। अतः उक्त स्थिति में पूर्व शमन किये गये प्रस्ताव पर उक्त मिश्रित अपयोग के प्रयोजन परिवर्तन हेतु पुनर्विचार प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त किया जा सकता है। "

चूंकि पूर्व में स्थल पर आश्रम विद्यमान है जो स्वीकृत/शमनित भी है तथा हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार व्यावसायिक भू-उपयोग होने के कारण इसका प्रयोजन मिश्रित उपयोग में करते हुए प्रस्तावित होटल/आश्रम निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

अविश्वस्ता अभियन्ता  
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार



## मद संख्या 70 (12)

श्रीमती राखी गर्ग पत्नी श्री अमित कुमार गर्ग आदि द्वारा ग्राम ज्वालापुर अन्दर हदूद के खसरा संख्या 2251 एवं 2249 (अन्दर नगर निगम हरिद्वार) परगना ज्वालापुर जिला हरिद्वार में प्रस्तुत मानचित्र अनुसार होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आवेदक श्रीमती राखी गर्ग पत्नी श्री अमित कुमार गर्ग के पत्र दिनांक 22.02.2020 जो सचिव महोदय को सम्बोधित है द्वारा प्रस्तुत मानचित्र ग्राम ज्वालापुर अन्दर हदूद के खसरा संख्या-2251 एवं 2249 (अन्दर नगर निगम, हरिद्वार) परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला-हरिद्वार में विरासत द्वारा पार्टनर श्रीमती राखी गर्ग पत्नी श्री अमित कुमार गर्ग एवं श्रीमती प्रीति गर्ग पत्नी श्री सुमित कुमार गर्ग, श्रीमती कनिका अग्रवाल पत्नी श्री रोहित अग्रवाल एवं श्रीमती निधि अग्रवाल पत्नी श्री अभिषेक अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत मानचित्र संख्या-एच0आर0डी0ए0/सी/1261/2019-20 आपत्ति पत्र संख्या-एच0आर0डी0ए0/ओ0बी0जे0/1073/3391/19-20 दिनांक 15.02.2020 को सूचित किया कि उक्त भू-उपयोग में 1500 मीटर से अधिक भूखण्ड पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकता है। प्रस्तुत होटल के मानचित्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय (आर-2) के अन्तर्गत है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत हरिद्वार महायोजना-2025 के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 के अनुसार उक्त भू-उपयोग में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग व 1500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल में होटल का मानचित्र स्वीकार्य है। उससे अधिक भूखण्ड होने की दशा में होटल का मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है।

होटल हेतु अनवार्यतायें-

क्र०	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	1000 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिये	3943.6914 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	12 मीटर	15.24 मीटर
03	सेट बैक		
	फ्रन्ट सेट बैक	12.00 मीटर	12.00 मीटर
	रियर सेट बैक	6.00 मीटर	6.00 मीटर
	साईड सेट बैक-1	6.00 मीटर	6.00 मीटर
	साईड सेट बैक-2	6.00 मीटर	6.00 मीटर



## मद संख्या 70 (13)

श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल एवं श्री सुदर्शन कुमार मित्तल पुत्र श्री मेहरबान सिंह मित्तल द्वारा ग्राम मनोहरपुर के खसरा संख्या 189 व 194 परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार पर पूर्व से स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र में संशोधन प्रस्ताव होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत मानचित्र संख्या-मान0/हरि0/आर0एस0-18/129/2014-15 जोकि श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल एवं श्री सुदर्शन कुमार मित्तल पुत्र श्री मेहरबान सिंह मित्तल के द्वारा ग्राम मनोहरपुर के खसरा संख्या-189 परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला-हरिद्वार में कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 6250.08 वर्ग मीटर पर ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र स्वीकृत कराया गया। जो स्थल पर 07 तलों में निर्मित है। स्वीकृत मानचित्र में संशोधन प्रस्ताव होटल के मानचित्र की स्वीकृति हेतु ग्राम मनोहरपुर के खसरा संख्या-189 एवं 194 परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला-हरिद्वार में कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 7816.56 वर्ग मीटर पर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में आवासीय-(R-2) के अन्तर्गत एवं महायोजना मार्ग/एन0एच0-58, (60 मीटर चौड़ा मार्ग) पर स्थित है। स्थल पर निर्मित निर्माण के अनुसार होटल हेतु आवश्यक सेट बैक एवं पार्किंग का प्राविधान उपलब्ध है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 आवासीय भू-उपयोग में 1500 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त होटल का निर्माण अनुमन्य है।

तकनीकी आख्या निम्नवत् है:-


क्र0	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	1000 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिये	7816.8.56 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	15 मीटर	60.00 मीटर
03	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2500 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्ड मार्ग के समान्तर पट्टी वाहनीय आगमन हेतु सर्विस लेन	6.00 मीटर	6.00 मीटर
04	<b>सेट बैक</b>		
	फ्रन्ट सेट बैक	12.00 मीटर	12.00 मीटर
	रियर सेट बैक	7.00 मीटर	7.00 मीटर
	साईड सेट बैक-1	7.00 मीटर	7.00 मीटर
	साईड सेट बैक-2	7.00 मीटर	7.00 मीटर
05	भू-आच्छादन	45.00 प्रतिशत	38.72 प्रतिशत

अधिसूची अभियन्ता  
विद्या-रूडकी विद्यास प्राधिकरण

06	एफ0ए0आर0	2.40	1.653
07	भवन की ऊँचाई	24.00 मीटर	20.79 मीटर
08	तलों की संख्या	बैस्मेंट+जी+7	बैस्मेंट+जी+7
09	पार्किंग	196.83 ई0सी0एस0	211.12 ई0सी0एस0
10	अन्य विवरण	-	-

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। होटल की स्वीकृति हेतु भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य किया जा सकता है। हरिद्वार तीर्थ स्थल के दृष्टिगत शहर के दबाव को देखते हुए शहर के बाहर के होटल की अनुमन्यता पर विचार किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निणयार्थ प्रस्तुत है।




अधिसासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूपी विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

मद संख्या-70 (13) श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल एवं श्री सुदर्शन कुमार मिततल पुत्र श्री मेहरवान सिंह ग्राम मनोहरपुर के खसरा संख्या 189 व 194 परगना ज्वालपुर तहसील व जिला हरिद्वार पर पूर्व से स्वीकृत युप हाउसिंग मानचित्र में संशोधन प्रस्ताव होटल मानचित्र स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-70 (14) श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री अरविन्द अग्रवाल के वाद संख्या-नो0/बहा02387 /2019-20 में शमन प्रस्ताव दिनांक 27-11-2019 ग्राम रावली महदूद के खसरा संख्या-440 /2, 441, तहसील व जिला हरिद्वार के मूखण्ड क्षेत्रफल 1662.50 वर्ग मी0 पर स्थापित आउटलेट के शमन स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-70 (15) श्री कुंवरकांत शर्मा पुत्र श्री आनन्द प्रकाश शर्मा द्वारा ग्राम ज्वालापुर के खसरा संख्या-2262 /2 एवं 2260 वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर परगना व तहसील ज्वालापुर, हरिद्वार में 770 वर्ग मी0 पर स्थापित रिटेल आउटलेट की स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-70 (16) श्रीमती रीतू पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह यादव के द्वारा ग्राम सराय के खसरा संख्या-74, परगना व तहसील ज्वालापुर में एच0पी0सील0एल0 के रिटेल आउटलेट की स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman

## मद संख्या 70 (14)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री अरविन्द अग्रवाल के वाद संख्या नो0/बहा0/387/2019-20 में शमन प्रस्ताव दिनांक 27.11.2019 ग्राम रावली महदूद के खसरा संख्या 440/2, 441, तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 1662.50 वर्ग मी0 पर स्थापित आउटलेट के शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री अरविन्द अग्रवाल के विरुद्ध योजित वाद संख्या-नो0/बहा0/387/2019-20 में शमन प्रस्ताव दिनांक 27.11.2019 ग्राम रावली महदूद के खसरा संख्या-440/2, 441, तहसील व जिला पर कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 1662.50 वर्ग मीटर पर स्थापित रिटेल आउटलेट के शमन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय (आर-2) है एवं स्थल बहादुराबाद सिडकुल मार्ग महायोजना के अनुसार 50 मीटर पर स्थित है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत हरिद्वार महायोजना-2025 के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 के अनुसार "फिलिंग स्टेशन" की स्थापना प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य किया जा सकता है।


प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक 353/शस्त्र/सहा-2019/एन0ओ0सी0 दिनांक 27.07.2019 को फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु अनापत्ति निर्गत की गयी है। स्थल का फोटोग्राफस साथ संलग्न है। तकनीकी जाँच आख्या निम्नवत् है-

क्र0	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	1225.00 वर्ग मीटर	1662.50 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	30 मीटर	45 मीटर (महायोजना के अनुसार 50 मीटर प्रस्तावित)
03	सेट बैक		
	फ्रन्ट सेट बैक	-	-
	रियर सेट बैक	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक-1	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैक-2	3.00 मीटर	3.00 मीटर
04	भू-आच्छादन	5.00 प्रतिशत	4.94 प्रतिशत
05	एफ0ए0आर0	0.05	0.0494
06	कैनोपी की ऊँचाई	6.00 मीटर	6.00 मीटर

07	भवन की ऊँचाई	भूतल (न्यूनतम 3.00 मीटर)	भूतल (3.00 मीटर)
08	पार्किंग	80 वर्ग मीटर	84.35 वर्ग मीटर
09	अन्य विवरण	—	—

उपरोक्तानुसार प्रकरण सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण फिलिंग स्टेशन की सार्थकता दृष्टिगोचर होती है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निणयार्थ प्रस्तुत है।



अविभासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूड़की विभागालय प्राधिकरण  
हरिद्वार

## मद संख्या 70 (15)

श्री कुंवरकांत शर्मा पुत्र श्री आनन्द प्रकाश शर्मा द्वारा ग्राम ज्वालापुर के खसरा संख्या 2262/2 एवं 2260 वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर परगना व तहसील ज्वालापुर, हरिद्वार में 770 वर्ग मी० पर स्थापित रिटेल आउटलेट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री कुंवरकांत शर्मा पुत्र श्री आनन्द प्रकाश शर्मा के द्वारा ग्राम ज्वालापुर के खसरा संख्या-2262/2 एवं 2260 वाल्मीकि बस्ती, ज्वालापुर, परगना व तहसील ज्वालापुर, हरिद्वार में 770 वर्ग मीटर पर स्थापित रिटेल आउटलेट के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आवासीय (आर-1) है एवं स्थल पुल जटवाड़ा से वाल्मीकि बस्ती, ज्वालापुर से सुभाष नगर टिहरी विस्थापित मार्ग, शिवालिक नगर कालोनी को जाने वाले मार्ग पर महायोजना के अनुसार 30 मीटर पर स्थित है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत हरिद्वार महायोजना-2025 के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 के अनुसार "फिलिंग स्टेशन" की स्थापना प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य किया जा सकता है।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय पत्रांक 3107/शस्त्र/सहा-2019/ एन०ओ०सी० दिनांक 21.08.2019 को फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु अनापत्ति निर्गत की गयी है। स्थल का फोटोग्राफस साथ संलग्न है। तकनीकी जाँच आख्या निम्नवत् है:-

क्र०	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
01	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	400.00 वर्ग मीटर	770.00 वर्ग मीटर
02	पहुंच मार्ग	18.00 मीटर	18.00 मीटर लो०नि०वि० मार्ग (महायोजना के अनुसार 30 मीटर प्रस्तावित)
03	सेट बैंक		
	फ्रन्ट सेट बैंक	-	-
	रियर सेट बैंक	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैंक-1	3.00 मीटर	3.00 मीटर
	साईड सेट बैंक-2	3.00 मीटर	3.00 मीटर
04	भू-आच्छादन	5.00 प्रतिशत	4.82 प्रतिशत
05	एफ०ए०आर०	0.05	0.0482


जिलाधिकारी कार्यालय  
हरिद्वार-रूड़की विभाग प्राधिकरण



06	कैनोपी की ऊँचाई	6.00 मीटर	6.00 मीटर
07	भवन की ऊँचाई	भूतल (न्यूनतम 3.00 मीटर)	भूतल (3.15 मीटर)
08	पार्किंग	80 वर्ग मीटर	90.16 वर्ग मीटर
09	अन्य विवरण	—	—

उपरोक्तानुसार प्रकरण पुल जटवाड़ा से वाल्मीकि बस्ती, ज्वालापुर से सुभाष नगर टिहरी विस्थापित मार्ग, शिवालिक नगर कालोनी को जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण फिलिंग स्टेशन की सार्थकता दृष्टिगोचर होती है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निणयार्थ प्रस्तुत है।




अधिसूक्ती अधिवक्ता  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

## मद संख्या 70 (16)

श्रीमती रीतू पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह यादव के द्वारा ग्राम सराय के खसरा संख्या 74, परगना व तहसील ज्वालापुर में एच0पी0सी0एल0 के रिटेल आउटलेट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि ग्राम सराय के खसरा संख्या 74 परगना व तहसील ज्वालापुर में श्रीमती रीतू पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह यादव द्वारा एच0पी0सी0एल0 के रिटेल आउटलेट मानचित्र स्वीकृत हेतु मानचित्र संख्या TEMP/HRDA/C/0215/2020-21 प्रस्तुत किया गया है। अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग महायोजना-2025 के अनुसार कृषि हरित पट्टी के अन्तर्गत आता है। प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार नगर निगम सीमा के अन्तर्गत एवं उसके अतिरिक्त नगर निगम सीमा के 03 कि0मी0 परिधि के अन्तर्गत न्यूनतम पहुंच मार्ग 18.00 मी0 चौड़ा होना आवश्यक है। स्थल पर पहुंच मार्ग की चौड़ाई 12.00 मी0 है। उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत हरिद्वार महायोजना 2025 के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियम के प्रस्तर 10.3.7 के अनुसार फिलिंग स्टेशन की स्थापना अनुमन्य के अन्तर्गत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में पहुंच मार्ग मानकों के अनुसार न होने के कारण मार्ग की शिथिलता हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


  
अविश्वसी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूढ़ी विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

## मद संख्या 70 (17)

हरिद्वार स्थित एस०एम०जे०एन० (पी०जी०) कॉलेज परिसर में बिना स्वीकृति के मोबाईल टावर के शमन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत स्थित एस०एम०जे०एन० (पी०जी०) कॉलेज परिसर में बिना स्वीकृति के मोबाईल टावर लगाये जाने के कारण कार्यालय में वाद संख्या-नो०/हरि०/170/2016-17 योजित है। प्रकरण में टावर के निर्माण को शमन किये जाने हेतु कार्यालय में शमन मानचित्र आदि प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत टावर के निर्माण की स्वीकृति/शमन से सम्बन्धित भवन उपविधि में स्कूल व अस्पताल भवन परिसर अन्तर्गत टॉवरों की अनुमन्यता निषिद्ध है। स्थल का महायोजना में भू-उपयोग सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक प्रदर्शित है। सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग में टावर निर्माण की स्वीकृति/शमन की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त ही अनुमन्य है। प्रश्नगत स्थल घनी आबादी से घिरा हुआ है। एस०एम०जे०एन० (पी०जी०) कॉलेज के प्राचार्य डा० एस०के० बत्रा जी द्वारा टावर स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार टावर का निर्माण कॉलेज परिसर के अन्तर्गत एवं घनी आबादी के मध्य स्थित होने के कारण टॉवर के प्रभाव एवं दुष्परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए टावर के मानचित्र को शमन किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

  
अविभासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूढ़ी विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार


**मद संख्या-70 (17)** हरिद्वार स्थित एस0एम0जे0एन0 (पी0जी0) कालेज परिसर में बिना स्वीकृति के मोबाईल टावर के शमन मानचित्र की स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त अस्वीकार करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

**मद संख्या-70 (18)** ग्राम अकबरपुर ऊद, परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के खसरा नं0-588 पर पूर्व निर्मित इण्डस्ट्रीज, मैसर्स गोल्डन पी0वी0सी0 प्रोफाईल को शमन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त अस्वीकार करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया गया।

**मद संख्या-70 (19)** भेल गृह निर्माण समिति, बी0एच0ई0एल0, रावली महदूद ज्वालापुर हरिद्वार के स्वीकृत तलपट मानचित्र की अवधि 02 वर्ष हेतु समय वृद्धि प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-70 (20)** हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत टिहरी विस्थापित क्षेत्र को नियमित किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-70 (21)** प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों के विक्रय उपरान्त अभिलेखों में क्रेता का नाम दर्ज किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

  
Secretary

  
Vice Chairman


  
Chairman

मद संख्या-70 (18)

ग्राम अकबरपुर ऊद, परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के खसरा न0. 588 पर पूर्व निर्मित इण्डस्ट्रीज, मैसर्स गोल्डन पी0वी0सी0 प्रोफाईल को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

ग्राम अकबरपुर ऊद, परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के खसरा न0. 588 पर पूर्व निर्मित इण्डस्ट्रीज मैसर्स गोल्डन पी0वी0सी0 प्रोफाईल को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शमन हेतु दिनांक 31.12.2019 को श्रीमती साहिबा पत्नि मौ0 आकिल, सुल्तानपुर, आदमपुर परगना ज्वालापुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत औद्योगिक इकाई हेतु पंधुच मार्ग 4.57 मी0 चौड़ा मौके पर उपलब्ध है। भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम 15 मी0 चौड़ा मार्ग होना आवश्यक है। स्थल हरिद्वार-लक्सर मुख्य मार्ग से 100 मी0 दूरी के अन्तर्गत है। भू-स्वामी द्वारा अपने भूखण्ड से मार्गाधिकार छोड़ते हुए मार्ग को 15 मी0 चौड़ा दर्शित किया गया है। पत्रावली पर नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत आख्यानानुसार स्थल लक्सर मुख्य मार्ग से 100 मी0 की दूरी पर स्थित होने व आवेदक द्वारा 15.00 मी0 चौड़े मार्ग हेतु पूर्ण मार्गाधिकार प्रश्नगत स्थल में से छोड़ने के उपरान्त प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त छूट हेतु शासन को संदर्भित किया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

  
अविभासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूड़की विभागात् प्राधिकरण  
हरिद्वार


मद संख्या 70 (19)

भेल गृह निर्माण समिति, बी0एच0ई0एल0, रावली महदूद ज्वालापुर हरिद्वार के स्वीकृत तलपट मानचित्र की अवधि 02 वर्ष हेतु समय वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1345 दिनांक 01.11.2003 के अनुक्रम में BHEL कर्मचारियों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त के क्रम में 5TH फेस BHEL गृह निर्माण समिति, BHEL, शिवालिक नगर रानीपुर, हरिद्वार का तलपट मानचित्र प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21.10.2008 को प्रदान की गयी तथा नियमानुसार मानचित्र की समयावृद्धि दिनांक 19.10.2014 तक विस्तारित की गयी। वर्तमान में उपनियमानुसार उक्त तलपट मानचित्र की समयावृद्धि देय नहीं है।

समिति के अनुसार BHEL गृह निर्माण समिति के आपसी वाद विवाद का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण कोई विकास कार्य नहीं किया जा सका। अब मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समिति से सम्बन्धित वाद निस्तारित किये जा चुके हैं। ऐसी दशा में तलपट मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने हेतु वैधता तिथि 19.10.2014 से अब तक की समयावृद्धि (फिज) मानते हुए आगामी 02 वर्ष की समयवृद्धि मांगी गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में तलपट मानचित्र की अवधि अनुमोदन से 02 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।




अविभासी अभियन्ता  
हरिद्वार-स्वयं विभागा प्रधिकरण  
हरिद्वार

## मद संख्या 70 (20)

## हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत टिहरी विस्थापित क्षेत्र को नियमित किये जाने विषयक।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत कई स्थानों पर पूर्व में सरकार द्वारा टिहरी विस्थापित क्षेत्र घोषित करते हुए उसे टिहरी डैम से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा आवंटित पुनर्वासित स्थल मुख्यतः सरकारी भूमि थी, सरकार द्वारा प्रत्येक आवंटि को एक बड़े भूखण्ड को खेती किये जाने तथा उसी में निवास हेतु भूमि का आवंटन किया गया। कालान्तर में आवंटियों द्वारा इन भूखण्डों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हुए विक्रय कर दिया गया जो वर्तमान में एक कालोनियों के रूप में विकसित है। प्राधिकरण द्वारा इन कालोनियों में मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जाते हैं किन्तु अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के उपरान्त अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं द्वारा अपने निर्माणों को शमन/रेगुलाईज किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है किन्तु अनाधिकृत कालोनी होने के कारण प्राधिकरण द्वारा निर्माणों को स्वीकृत/शमन नहीं किया जा रहा है। यहां यह भी अवगत कराना है कि अधिकांश विस्थापित कालोनियों में आवश्यक अवस्थापना सुविधायें यथा सडक, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

अतः उपरोक्तानुसार टिहरी विस्थापित कालोनीयों में ऐसी कालोनियां जिनका भू-उपयोग प्रचलित हरिद्वार महायोजना 2025 में आवासीय हो तथा जिनमें 50% से अधिक क्षेत्र में भवन निर्मित हो चुके हों, को वर्तमान नियम-उपनिमयों के आधार पर नियमित किये जाने हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


  
अविभासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

## मद संख्या 70 (21)

प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों के विक्रय उपरान्त अभिलेखों में क्रेता का नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या-728/9-आ-1-97 दिनांक 06.02.1997 द्वारा आदेशित किया गया है कि "विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूखण्डों/भवनों के आवंटियों द्वारा हस्तांतरण के समय विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करने की परम्परा कुछ विकास प्राधिकरणों में है। इस उद्देश्य कदाचित यह है कि लीज की धनराशि यदि कोई बाकी है तो उसकी अध्यावधिक वसूली हो जाए तथा नये क्रेता को कोई असुविधा न हो। इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए निर्णय लिया गया है कि भविष्य में एकल भूखण्ड या भवन के आवंटी को हस्तांतरण करने के लिए विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जब हस्तांतरण और रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन के लिए विकास प्राधिकरण के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो वह यदि कोई बकाया आदि है तो उसके पूर्व भुगतान की शर्त लगा सकते हैं। विकास प्राधिकरण चाहे तो म्यूटेशन हेतु एक फीस भी निर्धारित कर सकते हैं जो परिसम्पत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत हो सकता है"। उक्त शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण की योजना में आवंटित सम्पत्तियों विक्रेता के स्थान पर क्रेता का नाम दर्ज करने हेतु 01 प्रतिशत शुल्क लिया जा रहा है। सम्परीक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित बोर्ड की स्वीकृति की अपेक्षा की गयी है।

शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण की सम्पत्तियों में विक्रेता के स्थान पर क्रेता के पक्ष में म्यूटेशन की कार्यवाही किये जाने हेतु 01 (एक प्रतिशत) म्यूटेशन फीस लिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



अविद्यासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूढ़ी विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार



## मद संख्या 70 (22) भवनों/भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के मद संख्या-66(7) पर बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था कि "प्रस्ताव विस्तृत वित्तीय बिन्दुओं का विस्तार पूर्वक स्पष्ट मन्तव्य सहित एवं सुस्पष्ट तथ्यों सहित आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये" ।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया हेतु नियमावली दिनांक 17.07.1998 प्राधिकरण में प्रभावी हैं। आवास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-4049 दिनांक 20 अक्टूबर 1999 विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कॉस्टिंग के लिए आदर्श मार्ग सिद्धान्त लागू किये गये। हरिद्वार विकास प्राधिकरण की मूल्यांकन नियमावली के बिन्दु 3.6 में प्राविधान किया गया कि "विकसित भूमि की दर को अंतिम (फ़ीज) कर दिया जाए। यह अन्तिम दर एक निश्चित तिथि तक के लिए होगी। यह तिथि गणना करते समय निर्धारित की जाएगी। कट आफ डेट के बाद होने वाले पंजीकरणों पर कट आफ डेट से पंजीकरण दिनांक तक का विकसित भूमि की सेक्टर दर पर @15% (प्रतिशत) वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लिया जाएगा"। अवगत कराना है कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में कुल 305 सम्पत्तियां रिक्त चली आ रही हैं। प्रचलित कॉस्टिंग नियमावली के अनुसार रिक्त सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सम्पत्ति का अंतिम मूल्यांकन की निर्धारित अवधि से पंजीकरण खोले जाने की तिथि को 15% ब्याज जोड़कर कर सम्पत्ति का नया मूल्य निर्धारित किया जाता है। उक्त प्रक्रिया के कारण सम्पत्तियों की कीमत बाजारू दर से काफी अधिक हो जाने के कारण रिक्त सम्पत्ति की ओर क्रेता आकृषित नहीं हो रहे हैं।

शासनादेश संख्या-4049 दिनांक 20.10.1999 (छायाप्रति संलग्नक-ख) द्वारा जारी कॉस्टिंग के लिए आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त के बिन्दु संख्या-2 में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी योजनायें जिनमें विकास कार्य अपूर्ण हैं वहाँ भू-अध्यापित हेतु लोनिंग एजेन्सी के सम्बन्धित कैटेगरी के कार्य हेतु भू-अध्यापित ऋण की नवीनतम ब्याज दर में 01 प्रतिशत बढ़ाकर प्राप्त दर पर भूमि का मूल्यांकन प्रतिवर्ष बढ़ाया जाए। पूर्णतया विकसित अथवा नगर निगम को हस्तांतरित योजनाओं में भूमि की दर सर्किल रेट के बराबर रखी जाए। विशेष परिस्थितियों में (बोर्ड) दरों को निर्धारित करने के लिए सक्षम होना चाहिए, परन्तु विशेष कारणों का पूर्ण उल्लेख किया जाना चाहिए। इस शासनादेश के बिन्दु-8 का 2 में उल्लेख है कि यदि कोई योजना विकास प्राधिकरण अपने स्रोतों से कियान्वित करना है तो हुडको द्वारा इस प्रकार के कार्य हेतु निर्धारित ब्याज दर पर 01 प्रतिशत बढ़ाकर ब्याज लगाया जाएगा तथा दण्ड ब्याज की दर उपरोक्त संस्था द्वारा निर्धारित दण्ड ब्याज की दर से ली जायेगी तथा उसे इस प्रकार कम्पाउन्ड किया जाएगा जिस प्रकार उपरोक्त संस्था ऋण के सम्बन्ध में करती है। शासनादेश संख्या-4912 दिनांक 04 नवम्बर 1999 (छायाप्रति संलग्नक-ग) के बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित किया गया है कि सम्पत्तियों के मूल्य

  
अविभासी आयोग

**मद संख्या-70 (22)**

भवनों /भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा कास्ट बेनीफिट एनालसिस करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-70 (23)**

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते समय देय सबडिविजन शुल्क की देयता के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पूरे भूखण्ड क्षेत्रफल पर सबडिविजन शुल्क लिये जाने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या-70 (24)**


कार्यालय में पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार, मानचित्रकार एवं अभियन्ताओं के पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्कों के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा ठेकेदारों के प्रस्तावित पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क "ए" श्रेणी हेतु रू0-25,000.00, "बी" श्रेणी हेतु रू0 15,000.00, "सी" श्रेणी हेतु रू-10,000.00, "डी" श्रेणी हेतु रू0-5,000.00 को अनुमोदित किया गया । अनुज्ञापी अभियन्ता श्रेणी हेतु रू0-5000.00 एवं मानचित्रकार श्रेणी हेतु रू0-2000.00 निर्धारित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

**मद संख्या-70 (25)**

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण में संविदा(अनुबन्ध के आधार पर) तैनात कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या-70 (26)**

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में स्वीकृत 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सम्पूर्ण तथ्यों सहित कास्ट एनालसिस रिपोर्ट तैयार करने, No Loss, No Profit, के आधार पर निर्माण कार्य करने, एच0आर0डी0ए0

  
Secretary


  
Vice Chairman

  
Chairman

में प्रत्येक वर्ष ब्याज जोड़ते हुए मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार मूल्य बढ़ते-बढ़ते कभी-कभी बाजार मूल्य से अधिक हो जाता है और सम्पत्ति बिकना असम्भव हो जाता है। इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि सम्पत्तियों का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य तक कम किया जाए। यदि विकास कार्य पूर्ण है अथवा सुगमता से पूर्ण किये जा सकते हैं तो सम्पत्ति का मूल्य बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित किया जाए।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न बैंको की वर्तमान होम लोन की दरें (सूची सलग्नक-घ) के अनुसार अधिकतम ब्याज दर 8.00-8.70% है। इसी प्रकार "Bulk loan to Housing Finance of government Banks/Public agencies /Government FIs. For further lending to individuals. के सम्बन्ध में हुडको (सूची सलग्न-ड़) द्वारा ई0डब्लू0एस0 कैटेगरी 9.4% एवं एल0आई0जी0 कैटेगरी के लिए 9.60% और अन्य के लिए 9.50% की दर होम लोन हेतु निर्धारित है।


अतः प्रस्ताव है कि प्रचलित कॉस्टिंग नियमावली में पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित ब्याज दर 15 प्रतिशत के स्थान पर शासनादेश संख्या-4912 दिनांक 04 नवम्बर 1999 के अनुसार बैंकिंग एजेन्सी एवं हुडको (HUDCO) की हाउसिंग लोन हेतु प्रस्तावित ब्याज दर से 01 प्रतिशत अधिक रखते हुए रिक्त सम्पत्तियों का प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकन/मुल्यांकन किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
अधिसूची अभियन्ता  
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

मद संख्या 70 (23)  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते समय देय  
सबडिवीजन शुल्क की देयता के सम्बन्ध में।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते समय कतिपय स्थानों पर भू-उपविभाजन शुल्क प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है। प्रचलित भवन उपविधि/महायोजना के अनुसार वांछित मार्ग की चौड़ाई को पूर्ण करने के लिए आवेदक के भूखण्ड क्षेत्रफल से मार्गाधिकार का क्षेत्रफल घटाने के उपरान्त नेट प्लॉट एरिया लिया जाता है। नेट प्लॉट एरिया के आधार पर ही आवेदक को भू आच्छादन, एफ0ए0आर0 आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। प्राधिकरण द्वारा भू-उपविभाजन शुल्क मार्गाधिकार क्षेत्रफल को भूखण्ड क्षेत्रफल से घटाने के उपरान्त नेट भूखण्ड क्षेत्रफल पर लिया जाता है। समय-समय पर सम्परीक्षा दल द्वारा यह आपत्ति आरोपित जा रही है कि सब डिवीजन शुल्क का निर्धारण सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। सम्परीक्षा दल द्वारा इंगित आपत्ति तर्क पूर्ण नहीं है क्योंकि आवेदक को भवन उपविधि के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाएँ नेट भूखण्ड क्षेत्रफल पर ही दी जाती हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल पर सबडिविजन शुल्क निर्धारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व की भांति नेट भूखण्ड क्षेत्रफल पर सबडिविजन शुल्क आरोपित किये जाने की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



अधिकासी अभियन्ता  
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण  
हरिद्वार

## मद संख्या 70 (24)

## कार्यालय में पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार, मानचित्रकार एवं अभियन्ताओं के पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्कों के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।


अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण तीन वर्ष हेतु किया जाता है। जिनके पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्कों का निर्धारण माह मार्च वर्ष 2009 में किया गया था, जो वर्तमान तक चला आ रहा है, चूंकि उक्त निर्धारित दरें तीन वर्ष में 01 बार देय होती हैं। जो वर्तमान में व्यवहारिक प्रतीत नहीं हो रही हैं। जिसको दृष्टिगत रखते हुए देय शुल्कों का पुर्ननिर्धारण किया जाना आवश्यक है। पूर्व निर्धारित एवं प्रस्तावित शुल्कों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	श्रेणी	माह मार्च 2009 से वर्तमान तक लागू पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क का विवरण	प्रस्तावित पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क
01	"ए०"श्रेणी	रु०. 10,000-00	रु०. 25,000-00
02	"बी०"श्रेणी	रु०. 6,000-00	रु०. 15,000-00
03	"सी०"श्रेणी	रु०. 3,000-00	रु०. 10,000-00
04	"डी०"श्रेणी	रु०. 2,000-00	रु०. 5,000-00

इसी प्रकार प्राधिकरण में अनुज्ञापी अभियन्ता एवं मानचित्रकार जो वार्षिक पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्कों का निर्धारण दिसम्बर 2010 में किया गया था। जो वर्तमान तक चला आ रहा है। वर्तमान परिस्थिति में इनके पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्कों का पुर्ननिर्धारण भी आवश्यक है। जो निम्नप्रकार है:-

क्र० सं०	अनुज्ञापी श्रेणी	माह सितम्बर 2010 से वर्तमान तक लागू पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क	प्रस्तावित पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क
01	अभियन्ता श्रेणी	रु०. 2,000-00	रु०. 10,000-00
02	मानचित्रकार श्रेणी	रु०. 1,000-00	रु०. 5,000-00

चूंकि उक्त दरें विगत 10 वर्ष से अधिक की अवधि से लागू हैं वर्तमान परिपेक्ष्य में इसे संशोधित किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः उपरोक्तानुसार पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्कों को पुर्ननिर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


 अभियन्ता  
प्राधिकरण

**मद संख्या 70 (25)**  
**हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण में संविदा (अनुबन्ध के आधार पर) तैनात कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.07.2017 के मद संख्या-11 पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त कार्यालय हरिद्वार में नेटवर्किंग, ऑनलाईन मैप अप्रूवल प्रक्रिया के अन्तर्गत 01 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, श्री बृजेश उपाध्याय रू. 50,000-00 मासिक तथा 01 प्रोग्रामर, श्री अभिषेक वशिष्ठ रू. 20,000-00 मासिक पारिश्रमिक पर संविदा पर अनुबन्ध के आधार पर दिनांक 01 सितम्बर 2017 से प्राधिकरण हित में आईटी0 कार्यों हेतु तैनात हैं। अवगत कराना है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं प्रोग्रामर द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 03.03.2020 के द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार हुई बढ़ोतरी के दृष्टिगत अपने मासिक पारिश्रमिक को बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। नियमित कर्मियों के वेतन में शासन द्वारा समय-समय पर मंहगाई भत्ता प्रदान करते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि भी दी जाती है किन्तु संविदा पर कार्यरत कर्मियों को इस प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः कालान्तर में हुई मंहगाई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण में संविदा पर कार्यरत निम्न कर्मियों के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	संविदा कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान में देय मासिक पारिश्रमिक रू० में	प्रस्तावित मासिक पारिश्रमिक रू० में
01	श्री बृजेश कुमार उपाध्याय	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	50,000-00	60,000-00
02	श्री अभिषेक वशिष्ठ	प्रोग्रामर	20,000-00	30,000-00
03	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	अधिवक्ता	30,000-00	40,000-00

अतः उपरोक्तानुसार प्राधिकरण में कार्यरत उक्त कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

  
अभिषेक वशिष्ठ  
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण

## मद संख्या 70 (26)

## प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में स्वीकृत 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।


अवगत कराना है कि इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कन्स्ट्रक्शन एंव डिजाईन सर्विस, उ0प्र0 जल निगम का चयन प्राधिकरण की 63(19) वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। तदोपरान्त उनके द्वारा तैयार डी0पी0आर0 की स्वीकृति उडा के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी। तदोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य अप्रेजल कमेटी की बैठक दिनांक 04.01.2018 में परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्तुति सहित भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त है तथा केन्द्रांश के रूप में रू0. 316.80 लाख की धनराशि प्राधिकरण को अवमुक्त की गयी है। अप्रेजल कमेटी की बैठक में भवनों के विक्रय मूल्य का विवरण भी उपलब्ध है। जिसके अनुसार प्रत्येक भवन की निर्माण लागत रू0. 8.86 लाख है। रू0. 8.86 लाख के विवरण में रू0. 4.50 लाख आवंटी से, रू0. 1.00 लाख राज्यांश, रू0. 1.50 लाख केन्द्रांश तथा रू0. 1.86 लाख कास सब्सिडी के रूप में है। उक्त बैठक दिनांक 04.01.2018 में कार्यदायी संस्था का चयन खुली निविदा के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। दिये गये निर्देश के अनुपालन में हो रही कठिनाइयों से कार्यालय पत्रों के माध्यम से एवं विभिन्न बैठकों में शासन को अवगत कराया गया। तदोपरान्त शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 60/V-2-2020-05 (आ0)/2020 दिनांक 10.06.2020 निर्गत करते हुए चयनित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम से कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी तथा ई0डब्लू0एस0 भवनों की लागत, विक्रय एवं आवंटन हेतु प्राधिकरण द्वारा पृथक से सक्षम स्तर पर निर्णय लिये जाने के निर्देश हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्माण लागत के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई अप्रेजल कमेटी की बैठक में भवनों के निर्माण व विक्रय मूल्य निर्धारित है। आवंटन का कार्य शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 539 दिनांक 14.08.2019 के अनुसार किया जाना है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्य दायी संस्था द्वारा 528 दुर्बल आय वर्ग भवन के निर्माण हेतु तैयार की गयी डी0पी0आ0 में भवनों की निर्माण लागत व तत्सम्बन्धी विकास कार्य सम्मिलित हैं किन्तु इसमें भूमि मूल्य सम्मिलित नहीं है। डी0पी0आर0 की कुल लागत 4675.96 लाख है जिसमें से कार्यदायी संस्था द्वारा रू0. 500.00 लाख की छूट प्रदान की गयी है जिसके उपरान्त डी0पी0आर0 की संशोधित लागत 4175.96 लाख होती है। संशोधित डी0पी0आर0 के उपरान्त प्रति भवन का निर्माण मूल्य रू0. 7,90,902.00 जिसमें लाभार्थी द्वारा दी जाने वाली राशि रू0. 4.50 लाख केन्द्रांश राशि रू0. 1.50 लाख राज्यांश रू0. 1.00 लाख तथा कास सब्सिडी के रूप में प्राधिकरण अंश प्रति इकाई रू0. 90,902.00 होता है। कास सब्सिडी के रूप में प्राधिकरण को  $(528 \times 90,902.00) = \text{रू0. } 4,79,96,256.00$  (रू0. चार करोड़ उन्यासी लाख छियानवें हजार दो सौ छप्पन मात्र) प्राधिकरण को वहन करना होगा।

  
 कार्यालय जल निगम

डी0पी0आर0 के अनुसार 528 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु भूमि का उपयोग 16,179.21 वर्गमी0 किया जा रहा है। वर्तमान सर्किल दर रू0-13000.00 प्रतिवर्गमी0 के अनुसार दुर्बल आय वर्ग भवनों की परियोजना हेतु आरक्षित कुल भूमि की लागत रू0-21,03,29,730.00 (इक्कीस करोड़ तीन लाख उन्नतीस हजार सात सौ तीस मात्र) होती है, इस प्रकार दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण पर प्राधिकरण को भूमि मूल्य एवं निर्माण लागत पर देय कास सब्सिडी सहित अतिरिक्त भार के रूप में (रू0. 4,79,96,256.00 + रू0. 21,03,29,730.00) कुल रू0. 25,83,25,986.00 (रू0. पच्चीस करोड़ तिरासी लाख, पच्चीस हजार नौ सौ छियासी मात्र) का वहन करना होगा।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



अधियासी अभियन्ता  
हरियाण-सहयोगी विकास प्राधिकरण  
हरियाण



मद संख्या 70 (27)


पत्रावली संख्या -

/2020-21

आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 04.05.2020 द्वारा राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार के उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा सुलभ कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासनादेश के प्रस्तर-14 में उक्त सुविधायें प्राधिकरण के कार्मिकों को भी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव पास करने के उपरान्त उक्त योजना को अंगीकृत किया जा सकता है। योजना सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य है। उक्त योजना की सदस्यता प्राप्त करने के उपरान्त कार्मिकों के वेतन/पेंशन से मासिक कटौती करते हुए उसे राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। मासिक कटौतियों का विवरण उक्त शासनादेश के प्रस्तर-05 में उपलब्ध है। योजना के सदस्यों के अतिरिक्त उक्त सुविधा में सदस्य के आश्रित भी सम्मिलित है, आश्रितों की श्रेणी शासनादेश के प्रस्तर-02 में उल्लिखित है। चूंकि योजना कार्मिकों के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

अतः उक्त शासनादेश एवं इससे सम्बन्धित निर्गत समस्त शासनादेशों को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

  
अधिसूत्री अधिकृत  
हरिद्वार-स्वास्थ्य विभाग प्राधिकरण  
हरिद्वार

को कुल रू0 25,83, 25,986.00 (रू0 पच्चीस करोड़ तिरासी लाख, पच्चीस हजार नौ सौ छियासी मात्र) घाटे की प्रति पूति किये जाने का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये ।

**मद संख्या-70 (27)** आयुष्मान भार /अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार के सम्बन्धी शासनादेशों को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अंगीकृत किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

**मद संख्या-70 (28)** ट्रांसपोर्ट नगर योजना सराय रोड ज्वालापुर हरिद्वार का संशोधित तलपट मानचित्र को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया । प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

**मद संख्या-70 (29)** अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद :-

स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान के कुछ खसरो में भिन्नता होने के कारण जोनल प्लान को परीक्षण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

अन्त में सचिव, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष, एच0आर0डी0एव, उपाध्यक्ष /मेलाधिकारी व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

  
Secretary

  
Vice Chairman

  
Chairman

## मद संख्या-70 (28)



ट्रांसपोर्ट नगर योजना सराय रोड़ ज्वालापुर हरिद्वार का तलपट मानचित्र संशोधित किये जाने के संबंध में।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में लगभग 40 प्रतिशत सम्पत्ति विक्रय से रिक्त है, जो योजनान्तर्गत बड़े-2 भूखण्ड होने के कारण इनका विक्रय नहीं किया जा सका है। प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-08 पर निर्णय लिया गया था कि बड़े-2 भूखण्डों को छोटे-2 आकार में बदल दिया जाये। उक्त के क्रम में प्राधिकरण के नियोजन विभाग द्वारा योजना का संशोधित तलपट मानचित्र तैयार किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. जी0-02 :- इस श्रेणी में कुल 22 भूखण्ड पूर्व से सृजित थे जिसमें से 09 भूखण्डों का विक्रय पूर्व में किया जा चुका है। अवशेष 13 भूखण्डों को विभाजित किया गया है विभाजन उपरान्त इस श्रेणी के कुल भूखण्डों की संख्या 35 हो जाती है।
2. जी0-03 :- इस श्रेणी में कुल 18 भूखण्ड पूर्व से सृजित थे जिसमें से 03 भूखण्डों का विक्रय पूर्व में किया जा चुका है। अवशेष 15 भूखण्डों को विभाजित किया गया है विभाजन उपरान्त इस श्रेणी के कुल भूखण्डों की संख्या 33 हो जाती है।
3. जी0-04 :- इस श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व से कुल 40 भूखण्ड सृजित है जिसमें से मुख्य मार्ग की ओर कुल 05 बड़े व्यावसायिक भूखण्ड स्थित हैं उक्त 05 भूखण्डों में से 01 भूखण्ड का विक्रय पूर्व में किया जा चुका है। अवशेष 04 भूखण्डों का विभाजन करते हुए कुल 19 भूखण्ड सृजित किये गये हैं।

योजना में पूर्व से स्वीकृत 257 भूखण्डों के स्थान पर तलपट मानचित्र संशोधित किये जाने के उपरान्त कुल भूखण्डों की संख्या 299 हो जायेगी। इस प्रकार अतिरिक्त रूप से कुल 42 भूखण्डों का सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार ट्रांसपोर्ट नगर योजना के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

  
  
 03.09.12  
 ६.६

पत्रावली संख्या -

मद संख्या 70 (29)  
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद